मेसर्स व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 143, 144 एवं 145, सेक्टर–ई, ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित फेरो एलॉयज प्लांट सिलिको मैग्नीज (**Si-Mn**) क्षमता–14,400 टी.पी.ए. से 28,800 एम.टी.पी.ए., फेरो मैग्नीज (**Fe-Mn**) क्षमता–14,400 टी.पी.ए. से 28,800 टी.पी.ए., फेरो क्रोम (**Fe-Cr**) क्षमता–15,000 टी.पी.ए. से 30,000 टी.पी.ए., फेरो सिलिको (**Fe-Si**) क्षमता–7,000 टी.पी.ए. से 14,000 टी.पी.ए. एरिया–4.88 हेक्टेयर (12.05 एकड़) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 15 मई 2018 का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 143, 144 एवं 145, सेक्टर–ई, ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित फेरो एलॉयज प्लांट सिलिको मैग्नीज (Si-Mn) क्षमता–14,400 टी.पी.ए. से 28,800 एम.टी.पी.ए., फेरो मैग्नीज (Fe-Mn) क्षमता–14,400 टी.पी.ए. से 28,800 टी.पी.ए., फेरो क्रोम (Fe-Cr) क्षमता–15,000 टी.पी.ए. से 30,000 टी.पी.ए., फेरो सिलिको (Fe-Si) क्षमता–7,000 टी.पी.ए. से 14,000 टी.पी.ए. एरिया–4.88 हेक्टेयर (12.05 एकड़) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 15.05.2018 को समय–11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर प्रांगण, ग्राम–तराईमाल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी के डायरेक्टर डॉ घनश्याम अग्रवाल ने कहा मैं मेसर्स व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, की ओर से उपस्थित जनता, मिडिया के कर्मचारी, एन.जी.ओ., ग्रामपंचायत के सरपंच एवं समस्त लोगो मैं यहा हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे द्वारा ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क के प्लाट नं. 143, 144 एवं 145, सेक्टर–ई, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में ऑलरेडी हमारे द्वारा एक 9 एम.व्ही.ए सबमर्जड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, फेरो एलॉयज यहॉ पे उत्पादन किया जाता है उसका संचालन किया जा रहा है हमारे वर्तमान परिसर का कुल क्षेत्रफल 12.5 एकड़ है जिस परिसर में हमारे द्वारा फेरो एलायज उत्पादन हेतु एक और 9 एम.व्ही.ए. सबमर्जड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावित क्षमता के विस्तार परियोजना के लिये हमने पर्यावरण के नियमानुसार हमने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया इसी

तारतम्य में आज की लोकसनुवाई आयोजित की गई है, परियोजना में हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये फ्यूल गैस एक्सट्रेक्शन सिस्टम तथा बैग फिल्टर लगाया गया है और नये प्रोजेक्ट के लिये भी हमारे द्वारा ये सबका पालन किया जायेगा स्थापित संयंत्र के संचालन हेतु जल की कुल आवश्यकता 30 घनलीटर प्रतिदिन है तथा क्षमता विस्तार के बाद कुल घनलीटर की आवश्यका 60 घनलीटर होगी जिसे हम भू–जल श्रोतो से लेंगे, वर्तमान में हमारे द्वारा केवल फेरो मैग्नीज तथा सिलिको मैग्नीज का उत्पादन किया जा रहा है हमारे द्वारा आगे फेरो क्रोम का उत्पादन भी किया जायेगा फिलहाल नहीं किया जा रहा था। संयंत्र में कुलिंग सर्किट लगाया गया है जिससे फेरो एलायज की प्लाट प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होता है। हम उसी पानी को रियूज करते है संयंत्र से केवल घरेलू दूषित जल का उत्सर्जन होता है जिसका उपचार सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट के द्वारा किया जाता है यह सिस्टम हमारे प्रस्तावित संयंत्र में भी अपनाया जायेगा। वर्तमान में हमारे द्वारा शुन्य निस्सारण की स्थिति बनाई रखी जाती है तथा आगे भी रखी जायेगी। प्रस्तावित क्षमता के विस्तार के कारण रोजगार के अवसर बनेंगे साथ ही स्थानीय सेवाओं एवं उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहॉ एक बात बताना चाहुंगा हमारे संयंत्र में लोकल इम्प्लाईमेंट सबसे ज्यादा है पूरे इण्डस्ट्रीयल पार्क में एवं आस–पास के एरिये में प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारी के नियोजन हेतु स्थानीय लोगो को ही हम प्राथमिकता देते है और आगे भी हम प्राथमिकता देते रहेंगे। पर्यावरणीय पूरी सुरक्षा हम करेंगे इसके लिये हमारे द्वारा लगातार प्रयास किये जायेंगे। अंत में मैं प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूॅ। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 500 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 52 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/श्री –

1. चन्द्रकुवंर, समारूमा – समर्थन है।
2. जमनीबाई समारूमा – समर्थन है।
3. कमला बाई, समारूमा – समर्थन है।
4. रामबाई, समारूमा – समर्थन है।

5. उर्मिला, समारूमा – समर्थन है।
6. भानमति, समारूमा – समर्थन है।
7. अनिता, समारूमा – समर्थन है।
8. नंन्दकुमारी, समारूमा – समर्थन है।
9. सुचोचना यादव – समर्थन है।
10. नर्मदा यादव – समर्थन है।
11. सावित्री चौहान, पड़कीपहरी – समर्थन है।
12. कुमारी सीता सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
13. श्यामबाई, पड़कीपहरी – समर्थन है।
14. माधुरी, पड़कीपहरी – समर्थन है।
15. कमला राठिया, पड़कीपहरी – समर्थन है।
16. धनमती, पड़कीपहरी – समर्थन है।
17. बिन्दु माझी, तुमीडीह – समर्थन है।
18. जेमा राठिया, पड़कीपहरी – समर्थन है।
19. रामकुवंर, पड़कीपहरी – समर्थन है।
20. सिन्धु माझी, तुमीडीह – समर्थन है।
21. सतकुवंर माझी, तुमीडीह – समर्थन है।
22. अनुपमा, तुमीडीह – समर्थन है।
23. संगीता सोनी, तुमीडीह – समर्थन है।
24. चांदनी, तुमीडीह – समर्थन है।
25. सोनी, तुमीडीह – समर्थन है।
26. सहोद्रा, तुमीडीह, – समर्थन है।
27. पुजा, तुमीडीह, – समर्थन है।
28. बिमला माझी, तुमीडीह – समर्थन है।
29. रूपा माझी, तुमीडीह – समर्थन है।
30. गरिमा, तुमीडीह – समर्थन है।
31. अधिन बाई, तुमीडीह, – समर्थन है।
32. माधुरी पैकरा, तुमीडीह – समर्थन है।
33. सुमन सुआई, तुमीडीह – समर्थन है।
34. रविना मालाकार, तुमीडीह – समर्थन है।
35. ललिता, तुमीडीह, – समर्थन है।
36. चतुरमती, सामारूमा – समर्थन है।
37. उरकुली यादव, सामारूमा – समर्थन है।
38. बिन्दुमति, सामारूमा – समर्थन है।
39. यशवंती चौहान, सामारूमा – समर्थन है।

40. लताबाई, सामारूमा – समर्थन है।
41. रूखनी, समाारूमा – समर्थन है।
42. समारी बाई यादव, सामारूमा – समर्थन है।
43. कुमारी बाई यादव, समाारूमा – समर्थन है।
44. तारा बाई, समाारूमा – समर्थन है।
45. सेवती बाई, सामारूमा – समर्थन है।
46. अनिता निषाद, तुमीडीह – समर्थन है।
47. बरतकुमारी, तुमीडीह – समर्थन है।
48. धनमती, तुमीडीह – समर्थन है।
49. प्रतिमा, तुमीडीह – समर्थन है।
50. ममता, तुमीडीह – समर्थन है।
51. वेदमती, तुमीडीह – समर्थन है।
52. कमला, तुमीडीह – समर्थन है।
53. अर्चना, तुमीडीह – समर्थन है।
54. सोनिया, तुमीडीह – समर्थन है।
55. मथुराबाई, पड़कीपहरी – समर्थन है।
56. सुखमति, पड़कीपहरी – समर्थन है।
57. गणेशी सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
58. ज्योति सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
59. ममता सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
60. लक्ष्मीन, पड़कीपहरी – समर्थन है।
61. रमशीला, पड़कीपहरी – समर्थन है।
62. केवंरा, पड़कीपहरी – समर्थन है।
63. मायावति, पड़कीपहरी – समर्थन है।
64. फुलकुमारी, पड़कीपहरी – समर्थन है।
65. गंगा, पड़कीपहरी – समर्थन है।
66. गुरवारी, पड़कीपहरी – समर्थन है।
67. रेवति, पड़कीपहरी – समर्थन है।
68. सुरूति, पड़कीपहरी – समर्थन है।
69. परसराम, पूंजीपथरा – समर्थन है।
70. दिलबोध यादव, तराईमाल – समर्थन है।
71. भरत, अमलीडीह – समर्थन है।
72. दीपक, उस प्लांट का फीटर रह चुका हूॅ – समर्थन है।
73. कमलेश चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।
74. कन्हैया लाल, पड़कीपहरी – समर्थन है।

75. दुखीराम, समारूमा – समर्थन है।
76. महाबली, पुंजीपथरा – समर्थन है।
77. शंकर लाल महंत, पूंजीपथरा – समर्थन है।
78. श्रवण कुमार राठिया, पुंजीपथरा – समर्थन है।
79. सुखरूराम सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
80. मुनुराम, पड़कीपहरी – समर्थन है।
81. शौकीलाल, पड़कीपहरी – समर्थन है।
82. घुरउ प्रसाद सिदार, समारूमा – समर्थन है।
83. यशवंत ठाकुर, तुमीडीह – समर्थन है।
84. नरेश साहु, तुमीडीह – समर्थन है।
85. आलोक, तुमीडीह – समर्थन है।
86. ललिता, पुंजीपथरा – समर्थन है।
87. सरस्वती, पुंजीपथरा – समर्थन है।
88. उर्मिला, पुंजीपथरा – समर्थन है।
89. पुनम, पुंजीपथरा – समर्थन है।
90. दुर्गा, पुंजीपथरा – समर्थन है।
91. सरीता, पुंजीपथरा – समर्थन है।
92. नानकुमारी, पुंजीपथरा – समर्थन है।
93. सुखरीबाई – समर्थन है।
94. कविता, तुमीडीह – समर्थन है।
95. रम्भा प्रधान, तुमीडीह – समर्थन है।
96. अनिता सिंह सिदार, तुमीडीह – समर्थन है।
97. प्रीति सिंह सिदार, तुमीडीह – समर्थन है।
98. रूपा सिदार, तुमीडीह – समर्थन है।
99. प्रेमा, तुमीडीह – समर्थन है।
100. मोहरमति सिदार, तुमीडीह – समर्थन है।
101. हेमलता, तराईमाल – समर्थन है।
102. सईतो, तराईमाल – समर्थन है।
103. भगवति, तराईमाल – समर्थन है।
104. अजीत राम यादव, समारूमा – समर्थन है।
105. हीरालाल यादव, समारूमा – समर्थन है।
106. रामदयाल माझी, तुमीडीह – समर्थन है।
107. तेजराम यादव, सामारूमा – समर्थन है।
108. आशा, तराईमाल – समर्थन है।
109. जानकी, तराईमाल – समर्थन है।

110. केसरी, पुजींपथरा – समर्थन है।
111. सुखवारा बाई, तराईमाल – समर्थन है।
112. संतोषी, तराईमाल – समर्थन है।
113. लक्ष्मी, पुंजीपथरा – समर्थन।
114. अंजली, पुंजीपथरा – समर्थन।
115. अनुसुईया, पुजीपथरा – समर्थन है।
116. यशोदा, पुंजीपथरा – समर्थन ।
117. मनीराम, तुमीडीह, – समर्थन ।
118. टीकाराम, तुमीडीह – समर्थन ।
119. गुलामप्रधान, तुमीडीह – समर्थन ।
120. बोधनपुरी, तुमीडीह – समर्थन है।
121. निलुकुमार, तुमीडीह – समर्थन है।
122. कुसुमलता, पुंजीपथरा – समर्थन ।
123. ललिता टोप्पो, पुंजीपथरा – समर्थन ।
124. सुमित्रा, पुंजीपथरा – समर्थन ।
125. देवंती, पुंजीपथरा – समर्थन ।
126. नर्मदा, पुंजीपथरा – समर्थन ।
127. बोंदा, पुंजीपथरा – समर्थन ।
128. पदमा, पुंजीपथरा – समर्थन ।
129. रीना, अमलीडीह – समर्थन है।
130. भारती चौहान, अमलीडीह – समर्थन।
131. करिना चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।
132. करिश्मा चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।
133. शनि, तुमीडीह, – समर्थन ।
134. राजकुमार, तुमीडीह – समर्थन ।
135. विनोद, तुमीडीह – समर्थन ।
136. तुलाराम, तुमीडीह – समर्थन ।
137. दारा मैत्री, तुमीडीह – समर्थन ।
138. अनुप साहु, तुमीडीह – समर्थन ।
139. लक्ष्मीराम, तुमीडीह – समर्थन ।
140. बिमला चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।
141. सुकवारो, अमलीडीह – समर्थन है।
142. गुलापी, अमलीडीह – समर्थन है।
143. जमनीबाई, पड़कीपहरी – समर्थन है।
144. सुधा, पड़कीपहरी – समर्थन है।

145. गुरवारी, पड़कीपहरी – समर्थन है।
146. कमला, पड़कीपहरी, – समर्थन है।
147. बुधयारिन बाई, पड़कीपहरी – समर्थन है।
148. बंसती बाई, पड़कीपहरी – समर्थन है।
149. गिरीसलाल, तुमीडीह – समर्थन ।
150. जय सिदार, तुमीडीह, – समर्थन ।
151. जय साहु, तुमीडीह – समर्थन ।
152. मोहन चन्द्रा, तुमीडीह – समर्थन ।
153. महोहर, पड़कीपहरी, – समर्थन है।
154. अनिल यादव, समारूमा – समर्थन है।
155. चन्द्रशेखर, समारूमा – समर्थन है।
156. रघुनाथ, पुंजीपथरा – समर्थन है।
157. अनिल कुमार, पुंजीपथरा – समर्थन है।
158. रोशन कुमार, तुमीडीह – समर्थन है।
159. पनतराम, – मै रोज दिन लकड़ी लेने जाता हूं पानी पीता हे।
160. हेमन्त, तुमीडीह – समर्थन है।
161. संजू तिर्की, तुमीडीह – समर्थन है।
162. मनोज, तुमीडीह – समर्थन है।
163. आरती चौहान, पड़कीपहरी – समर्थन है।
164. सुनीता, पड़कीपहरी – समर्थन है।
165. गौरी, पड़कीपहरी – समर्थन है।
166. गीता, पड़कीपहरी – समर्थन है।
167. मोहरमति, पड़कीपहरी, – समर्थन है।
168. राखी सिदार, समारूमा – समर्थन है।
169. सविता, पड़कीपहरी, – समर्थन है।
170. जमुना, पड़कीपहरी, – समर्थन है।
171. अमृत कुमारी, तुमीडीह – समर्थन है।
172. विराट, पड़कीपहरी – समर्थन है।
173. जुनमति, पड़कीपहरी – समर्थन है।
174. चन्द्रावति, तुमीडीह – समर्थन है।
175. गुरवारी चौहान, तुमीडीह – समर्थन है।
176. एतवारीन, तुमीडीह – समर्थन है।
177. लीला सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
178. कमला, पड़कीपहरी – समर्थन है।
179. भारती चौहान, पड़कीपहरी – समर्थन है।

180. तेजकुमरी सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
181. कुमारी सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
182. निर्मला सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन है।
183. दुर्गा, पड़कीपहरी – समर्थन है।
184. नीरज, तुमीडीह – समर्थन है।
185. आर्मेश सिदार, तुमीडीह – समर्थन है।
186. उसतराम, तुमीडीह – समर्थन है।
187. निराकार, तुमीडीह – समर्थन है।
188. गुलाबराम, समारूमा, – मै व्ही.ए. पॉवर का समर्थन करता हू। क्यों की आज के डेट में जितने भी है लोग–बाग, गरीब–दुखी जनता है जीवन यापन करने के लिये रोजी रोटी खोजने के लिये जगह–जगह भटकते है इसलिये फैक्ट्री जिस समय आया था तब भुख से त्रस्त थे लोग–बाग। आज हर दिन कोई छोटा हो या बड़ा हो लेकिन लोग–बाग अपने जीवनयापन के लिये दो रोटी कमाने के लिये तैयार है तत्पर है इसलिये मैं व्ही.ए. पॉवर का समर्थन करता हूँ।
189. खगेश्वर कुमार मांझी, तुमीडीह – समर्थन है।
190. रमेश वर्मा, तुमीडीह – समर्थन है।
191. राजु राठिया, तुमीडीह – समर्थन है।
192. दीपिका कुमारी यादव, तुमीडीह – समर्थन है।
193. गीता यादव, सामारूमा – समर्थन।
194. जेमति, तुमीडीह – समर्थन है।
195. नर्मदा बाई, तुमीडीह – समर्थन है।
196. अनुसुईया, तुमीडीह – समर्थन है।
197. लीलावति, तुमीडीह – समर्थन है।
198. इच्छा चौहान, सामारूमा – समर्थन है।
199. मानमति, पड़कीपहरी – समर्थन।
200. पुनिमति चाहान, तुमीडीह – समर्थन।
201. कलावति चौहान, अमलीडीह – समर्थन।
202. लीलावति चौहान, तुमीडीह – समर्थन।
203. सुनिता यादव, सामारूमा – समर्थन।
204. वृन्दावति – समर्थन है।
205. तपस्वनी निषाद, पुंजीपथरा – समर्थन है।
206. सहोद्रा सोनी – समर्थन।
207. ललीतावति – समर्थन।
208. सुनमुनी, पूंजीपथरा – समर्थन।
209. रौनी, पूंजीपथरा – समर्थन।
210. गुलाब, तुमीडीह – समर्थन।

211. हीमलाल, तुमीडीह – समर्थन।
212. विद्यानंद राठिया, तुमीडीह – समर्थन।
213. कमलेश, तुमीडीह – समर्थन है।
214. धनन्जय राठिया, तुमीडीह – समर्थन।
215. दिगम्बर, तुमीडीह – समर्थन।
216. रूपेन्द्र – समर्थन।
217. कन्हैया लाल गुप्ता, तुमीडीह – मैं पंच हूॅ व्ही.ए. पॉवर को समर्थन करता हूॅ।
218. उमेश कुमार गुप्ता, तुमीडीह – समर्थन।
219. कुलेश्वर, तेलीमुड़ी – समर्थन।
220. संजय, तुमीडीह – समर्थन।
221. मालु, तुमीडीह – समर्थन।
222. देवनारायण राठिया, तुमीडीह – समर्थन।
223. लक्ष्मी प्रसाद, तुमीडीह – समर्थन है।
224. रीना, पुंजीपथरा – समर्थन है।
225. सुनिता – समर्थन।
226. गणेशी, गोड़ी – समर्थन।
227. नन्दनी – समर्थन है।
228. दुखदाई, समारूसमा – समर्थन।
229. गुलापी, गोढ़ी – समर्थन है।
230. तारा बाई, समारूमा – समर्थन।
231. भगवति, समारूमा – समर्थन है।
232. किनकेश, सामारूमा – समर्थन।
233. कलेश कुमार, तुमीडीह – समर्थन है।
234. भजनलाल, तुमीडीह – समर्थन।
235. गणेश राठिया, तुमीडीह – समर्थन है।
236. तुलसी, तुमीडीह – समर्थन है।
237. मदन, तुमीडीह – समर्थन है।
238. सिधीराम, तुमीडीह – सब को काट के खत्म कर दिया और जमीन नहीं दिया है।
239. भुगनु, तुमीडीह – समर्थन।
240. अजय, तुमीडीह – समर्थन है।
241. दयानंद यादव, सामारूमा – समर्थन।
242. उद्धव प्रसाद राठिया, सुमा – समर्थन।
243. सीता, जमडबरी – समर्थन है।
244. बनस कुमारी मांझी, जमडबरी – समर्थन।
245. प्रेमशीला, जमडबरी – समर्थन है।

246. जय कुमारी, अमलीडीह – समर्थन है।
247. धनई, अमलीडीह – समर्थन।
248. समीरो, अमलीडीह – समर्थन है।
249. साधमति, अमलीडीह – समर्थन है।
250. कमला, अमलीडीह – समर्थन है।
251. मोहरमति, अमलीडीह – समर्थन है।
252. मंगलमति, अमलीडीह – समर्थन है।
253. करनमति, अमलीडीह – समर्थन है।
254. संतो, अमलीडीह – समर्थन है।
255. रूजों, अमलीडीह – समर्थन है।
256. बृन्दावति, अमलीडीह – समर्थन है।
257. फुलोबाई, तराईमाल – समर्थन है।
258. गीता बाई, तराईमाल – समर्थन।
259. लीला, तराईमाल – समर्थन।
260. सुमन, तराईमाल – समर्थन है।
261. सुभद्रा भगत, तराईमाल – समर्थन।
262. श्यामबाई, तराईमाल – समर्थन।
263. डोलबाई, तराईमाल – समर्थन है।
264. लीलावति, तराईमाल – समर्थन है।
265. रचना, पूंजीपथरा – समर्थन है।
266. दरशराम राठिया, सुमड़ा – समर्थन।
267. त्रिनाथ, सुमड़ा – समर्थन है।
268. मंगल सिंह – समर्थन।
269. विनाद, तुमीडीह – समर्थन है।
270. सरोज कुमार, तुमीडीह – समर्थन।
271. कैलाश राठिया, तुमीडीह – समर्थन।
272. बसंत कुमार, भालुगांव – समर्थन।
273. पंकज राठिया, सुमड़ा – समर्थन है।
274. राकेश कुमार, सुमड़ा – समर्थन।
275. अर्जुन राठिया, सुमड़ा – समर्थन है।
276. सरोज, सुमड़ा, – समर्थन है।
277. चमार सिंह, अमलीडीह – समर्थन है।
278. श्रीराम प्रधान, सुमड़ा – समर्थन है।
279. मनोज कुमार, गोढ़ी – समर्थन है।
280. विनय कुमार वर्मा – समर्थन।

281. गौतम, तुमीडीह – समर्थन है।
282. लालु, गोढ़ी – समर्थन।
283. संतोष निषाद, गोढ़ी – समर्थन है।
284. त्रिभुवन, गोढ़ी – समर्थन है।
285. सुदामा, गोढ़ी – समर्थन।
286. किरीतराम, तुमीडीह – समर्थन है।
287. रामकृत, पुजीपथरा – समर्थन है।
288. सुभाष लकड़ा, पुजीपथरा – समर्थन है।
289. डिगरीलाल प्रधान, तुमीडीह – समर्थन है।
290. अभिमदन, गोढ़ो – समर्थन।
291. तेजकुमार, गोढ़ी – समर्थन
292. छोटेराम, तुमीडीह – समर्थन है।
293. संतोष, गोढ़ी – समर्थन।
294. पवन कुमार राठिया – समर्थन।
295. राजकुमार, अमलीडीह – समर्थन।
296. भगवान दास, अमलीडीह – समर्थन।
297. गणेश भगत, समारूमा – समर्थन।
298. गुरू कुमार, सामारूमा – समर्थन।
299. समीर, तराईमाल – समर्थन है।
300. भुवन पटेल, तराईमाल – समर्थन।
301. सुंदरलाल, तुमीडीह – समर्थन है।
302. नितेश, पूंजीपथरा – समर्थन।
303. गणेश, तुमीडीह – समर्थन है।
304. नंदुभोय, तुमीडीह – समर्थन है।
305. चंदन प्रधान, तुमीडीह – समर्थन है।
306. अरविंद प्रधान, तुमीडीह – समर्थन है।
307. सदानंद सिदार, तुमीडीह – समर्थन है।
308. राजेश कुमार भोय, तुमीडीह – समर्थन है।
309. संजय प्रधान, तुमीडीह – समर्थन है।
310. संतपाल, तुमीडह – समर्थन है।
311. सुधीर यादव, पूंजीपथरा – समर्थन।
312. सानु यादव, पूंजीपथरा – समर्थन है।
313. सुरेश, पूंजीपथरा – समर्थन।
314. गंगाराम, तुमीडीह – समर्थन है।
315. सरोज, पूंजीपथरा – समर्थन है।

316. देवनाथ, कमतरा – समर्थन है।
317. राहुल, तुमीडीह – समर्थन है।
318. अजीत, तुमीडह, – समर्थन है।
319. सुनील, पूंजीपथरा – समर्थन है।
320. किशोर कुमार भोय, पूंजीपथरा – समर्थन है।
321. संजय कुमार, तुमीडीह – समर्थन।
322. पुनाराम, समारूमा – हम प्लांट व्ही.ए. पॉवर को समर्थन इसलिये करते है क्योंकि प्लांट अशिक्षित और अनपढ़ आदमी को रोजगार देता है सरकार तो पढ़े लिखे को देता है इसलिये मैं तो क्या सभी जो भी उद्योग को समर्थन देते है उनको धन्यवाद करता हूॅ और मेरे हिसाब से सभी लोग उद्योगों को समर्थन देना चाहिए इसलिये मैं भी समर्थन देता हूॅ।
323. गौरीशंकर, पूंजीपथरा – समर्थन है।
324. अरूण कुमार, पूंजीपथरा – समर्थन।
325. घनश्याम, पूंजीपथरा – समर्थन।
326. संतोष कुमार, पूंजीपथरा – समर्थन है।
327. संजय कुमार, पूंजीपथरा – समर्थन है।
328. ललीत कुमार – समर्थन है।
329. राकेश कुमार, तराईमाल – समर्थन है।
330. ललीत, उज्जवलपुर – समर्थन है।
331. सनेश, उज्जवलपुर – समर्थन।
332. अजय पटेल, तराईमाल – समर्थन है।
333. रामदयाल, तराईमाल – समर्थन।
334. इकरार खान, उज्जवलपुर – समर्थन है।
335. डमरूधर, उज्जवलपुर – समर्थन है।
336. अजीत राम, उज्जवलपुर – समर्थन।
337. शिवानंद, उज्जवपुर – समर्थन है।
338. प्रेमलाल, उज्जवलपुर – समर्थन।
339. हेमलाल, उज्जवलपुर – समर्थन है।
340. लक्ष्मण, उज्जवलपुर – समर्थन है।
341. सेवकराम, उज्जवलपुर, समर्थन है।
342. मनोज झा, पूंजीपथरा – समर्थन है।
343. तरूण कुमार गुप्ता, तुमीडीह – समर्थन है।
344. महेन्द्र कुमार प्रधान, तुमीडीह – समर्थन है।
345. उत्तर कुमार मांझी, तुमीडीह – समर्थन है।
346. हरिबंश राठिया, तुमीडीह – समर्थन।
347. मदन कूमार गुप्ता, तुमीडीह – समर्थन है।

348. अरूण, तुमीडीह – समर्थन है।
349. रामेश्वर, तुमीडीह – समर्थन है।
350. पंचुराम, तुमीडीह – समर्थन है।
351. फुलसाय, तुमीडीह – समर्थन है।
352. सीताराम, तुमीडीह – समर्थन है।
353. समी प्रधान, तुमीडीह – समर्थन है।
354. नेपारसी, तुमीडीह – समर्थन है।
355. परदेशी, तुमीडीह – समर्थन है।
356. राजु, पुंजीपथरा – समर्थन है।
357. महेश मण्डल, पुंजीपथरा, – समर्थन है।
358. राजु मण्डल, पुंजीपथरा – समर्थन है।
359. छोटु मण्डल, पुंजीपथरा – समर्थन है।
360. चैती, तुमीडीह – समर्थन है।
361. उषा, तुमीडीह – समर्थन है।
362. रोशनी, पूंजीपथरा – समर्थन है।
363. मुम्बई मनहर, तुमीडीह – समर्थन है।
364. दुर्गा राठिया, तुमीडीह – समर्थन है।
365. श्यामबाई, तुमीडीह – समर्थन है।
366. रंगवति, तुमीडीह – समर्थन है।
367. सुमन, तुमीडीह – समर्थन है।
368. कीर्ति, तुमीडीह – समर्थन है।
369. सीधमति, तुमीडीह – समर्थन है।
370. केरा श्रीवास, तुमीडीह – समर्थन।
371. सुशीला श्रीवास, तुमीडीह – समर्थन है।
372. शांति, तुमीडीह – समर्थन है।
373. एतवारी, तुमीडीह – समर्थन है।
374. जानकी, तुमीडीह – समर्थन है।
375. देवकुवंर – हमारे गांव में कुछ नही होता है।
376. सुलोचना बाई, तराईमाल – केरा श्रीवास, तुमीडीह – समर्थन।
377. कुमारी, तराईमाल – समर्थन है।
378. चम्पा, तराईमाल – समर्थन है।
379. सनीरो, तराईमाल – समर्थन है।
380. जानकी, तराईमाल – समर्थन है।
381. रंगवती, तराईमाल – समर्थन है।

382. सविता रथ, जन चेतना, रायगढ़ – सबसे पहले तो यह है कि इस जनसुनवाई का किसी भी किस्म का करवाने का कोई आचित्य नहीं रह जाता है जब ये आवेदन के 45 दिनो के बाद की जनसुनवाई है। आदरणीय मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहुंगी कि इस जनसुनवाई में मैं दो तरीके की बाते रखना चाहूंगी, पहला इनका ई.आई.ए. जो इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट है उस आधार पे और दूसरा है सोसल इम्पेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट का। आदरणीय मैं आप को बता दूं कि सबसे पहले मैं सामाजिक आंकलन की बात रखना चाहूंगी, तो आदरणीय इस जनसुनवाई से पहले यह चूंकि यह पुरा क्षेत्र अनुसूची 5 क्षेत्र है और यहा पे किसी भी किस्म की कोई विधिवत ग्रामसभा करके कोई अनुमति इस विस्तार की नहीं ली गई है, इसके अलावा आदरणीय इसमें इस तरीके के हालात अगर आप देखेंगे, जनसुनवाई के पण्डाल की ही देखे तो यहॉ महिलाओं को कोई हिस्सेदारी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पर्यावरणीय जनसुनवाई से पहले जिस नियमों का पालन किया जाना चाहिए तो उन नियमों का पालन नहीं करने से महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो उनका राय अभी तक स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय प्रभाव और आंकलन के रूप में नहीं आया है। दूसरा अगर हम बात देखे तो इस पूरे क्षेत्र में हाथी प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है लगातार यहॉ हाथियों के हमले होते रहे है उसको यहॉ पर स्पष्ट रूप से छिपाया गया है। आदरणीय आपको अगर देखे तो यहॉ पर पेय जल स्थर के बात देखे हम इन्होने भी लिखा है कि भू–जल का उपयोग करेंगे। आदरणीय दूसरा बड़ा चीज यह है कि यहॉ के वाटर पाल्युसन रिपोर्ट और यहॉ के हेल्थ पाल्युसन रिपोर्ट यहा के एयर पाल्युसन की स्थिति इस किसी भी आंकलन को स्पष्ट रूप से किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से इनके द्वारा कोई आंकलन एस.आई.ए. मतलब सामाजिक अंकेक्षण इन्होने नहीं कराया है। इसके अलावा हम देखे कि इनके रोजगार की बात आदरणीय हम जहा बैठे है वह औद्योगिक पार्क का हिस्सा है और उद्योग भी औद्योगिक पार्क का हिस्सा है आदरणीय मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई रोजगार इनके द्वारा उस तरीके से स्पष्ट रूप से हमारे युवाओं को न तो दिया गया है सम्मानित रोजगार न ही यहॉ इसके विस्तार से या इसके स्थापना से किसी किस्म की कोई रोजगार महिलाओं को स्थाई रूप में प्रापत नहीं हुआ है, इसके अलावा अगर ये सी.एस.आर. की बात करे तो इनके सी.एस.आर. में मैं अभी आपको बता दूं कि मैं फिलिपाईन्स में एक प्रजेन्टेशन करने गई वहॉ का एक लीगल माईन्स कंपनी के कार्पोरेशन का मैने देखा तो वहॉ का सी.एस.आर. कम से कम कंपनी है उद्योग है हम उद्योगों के नितियों के विरोधी है न की उद्योगों के विरोधी है तो हम आपको स्पष्ट बता दे सर कि वहा सी.एस.आर. में लोगो को गाय, भैस, रोजगार, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य इसके अलावा बेहतर कृषि और बिगड़े हुये जमीनों को ठीक करके दिया गया है। क्या ये जो व्ही.ए. पॉवर स्टील प्राईवेट लिमिटेड है अभी तक कोई एसा एक उदाहरण बता दे जो उसने सी.एस.आर. में पूंजीपथरा या 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी गांव में इस तरीके का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है या यहा पे स्वास्थ्य के मुद्दो पे उन्होनें प्रयास किया है। आदरणीय आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहुंगी कि इनके द्वारा यह कहा गया है ई.आई.ए. में स्पष्ट रूप से की इनकी जो उद्योग है उसके आस–पास किसी भी रक्षा से संबंधित चीजे नहीं है। आपको बता दूं सर हम जहां बैठे है वहॉ से महज 01 किलोमीटर के अंदर पूंजीपथरा थाना है जहां पेड़ रक्षा से संबंधित तमाम पेसर्स है हथियार है वहॉ पे लोग है वहॉ पर सरकार के पुलिस के कर्मचारी है जिनके हेल्थ की बात किया जाये जिनके स्वास्थ्य की बात किया जाये और सारी चीजे इन्होने छिपाया है। इसके अलावा हम देखे तो आपको बता दूं तो यहा आस–पास कम से कम 20 आंगनबाड़ी केन्द्र है उस 20 आंगनबाड़ी केन्द्रो के बच्चो

के हेल्थ के ऊपर इस उद्योग के स्थापना होने से सीधा असर होना है। यहां पर 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसका इन्होने जानकारी छुपाया है। इसके अलावा सर यहा पे अन्य अलग–अलग जो सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसमें सरकारी कर्मचारी भी है जिनकी तमाम जानकारी इन्होने छिपाया है, इसके अलावा इन्होने औद्योगिक पार्क के अंदर जिंदल इंजीनियरिंग कॉलेज को छिपाया है, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे है और वो लगातार बीमार पड़ रहे है, अत्यधिक उद्योग होने के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। उनके मैं मांग करती हूँ कि जनसुनवाई के अंदर की उनके ब्लड यूनिट का तत्काल जॉच हो इस कॉलेज और आंगनबाड़ी के बच्चों के हेल्थ का तब कही अन्य उद्योग को विस्तार का या स्थापना का अनुमति यहॉ मिलना चाहिए। आदरणीय आप को बता दूं, मुझे यह कहने में शर्म आती है कि जितने भी औद्योगिक पार्क में उद्योग स्थापित हुये है अभी तक उसको किसी भी किसम की न तो पर्यावरणीय अनुमति मिला है और न ही फारेस्ट का अनुमति मिला है इसके बावजुद लगातार धड़ल्ले से संचालित हो रहे है लेकिन आपको बता दूं सर इस उद्योग के संचालन में सबसे खतरनाक जो बात है वो है सिलिका, ये सिलिका का उपयोग करेंगे और सिलिका जो है सीधे–सीधे आपका सिलिकोसिस जैसे जानलेवा बीमारी इसके होने से होगा, ये यूज करेंगे क्वार्टज पत्थर क्वार्टज पत्थर की पिसाई में अब तक पूंजीपथरा का औद्योगिक पार्क में व्ही.ए. पॉवर का स्थिति को हम देखे तो वहा से महज 05 किलोमीटर में सराईपाली गांव में सिलिकोसिस के 20 मरीज पाये गये है जिसे छ.ग. गवर्नमेंट ने कम्पनसेसन दिया है 03–03 लाख रूपये तो उस आधार पे सिलिका से संबंधित जहॉ पर सिलिका का उपयोग किया जायेगा, सिलिकोसिस बीमारी होगा वहा की स्थिति के आधार में आप कैसे इसके विस्तार की अनुमति देते है। ये बिल्कुल गलत है इसकी अनुमति कदापि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहा पर 15 दिन पहले यहा पर हाई कोर्ट गये है लोग, यहॉ के ग्रामीण यहा के टी.बी. जैसे गंभीर बीमारी का फेफड़े से लंग कैंसर की बीमारी यहा स्थापित हो रहा है तो उस आधार पर क्यों करना है इसके बाद आप सड़क के इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करे, अगर यहॉ के पेय जल की स्थिति की बात करे, अगर यहॉ के महिलाओं के हेल्थ की बात करें, बच्चों के हेल्थ की बात करें ऐसा किसी भी किस्म का कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया है। नियम यह है एस.आई.ए. बनने से पहले, सोसल इम्पेक्ट असिसमेंट से पहले हर गांव के एक–एक बच्चे का एक–एक परिवार का एक–एक सदस्य का बड़ा हो बुजुर्ग हो उसका एस.आई.ए. बनना चाहिए इसके बाद ही किसी पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन होना चाहिए। यहां पे मजाक बन गया है, सरकार की जिद के कारण, जबरिया के कारण कि किसी भी प्रकार से आनन–फानन में जनसुनवाई सफल करा देने से विकास होगा। अभी तक जितने हुये है मुझे सामने आके बताये कि कितना विकास हुआ है। इन्होने कहा कि यहॉ कोई एतिहासिक स्थल नहीं है। मैं कहती हूँ यहा के आस्था का केन्द्र बंजारी मंदिर है, जो पता नहीं कि कितने सैकड़ो सालो से स्थापित है लोगो के आशीर्वाद देते हुये इस पुरे क्षेत्र में लेकिन उसको एतिहासिक स्थल से हटा दिया गया, हाथियों के मुद्दे हटा दिया, भालुओं के मुद्दे हटा दिया तो यही एक बचा है व्ही.ए. एण्ड पॉवर कंपनी जो यहॉ पे विकास करेगा। अगर विकास का परिणाम देखना है, इस तरह से विकास होते रहे तो लगभग जिस तरीके से पूंजीपथरा गांव का आज स्थिति है वैसा पुरा स्थिति होगा। अतः जितना विकास करना था यह आलरेडी कर चुके है फेरो सिलिको जहा पे उपयोग होगा, फेरो मैग्नीज होगा वहा पे आनी वाली नस्ल और आने वाली पीढ़ी के लिये ये बेहद खतरनाक है। मानव जीवन के संसाधन के साथ–साथ यहॉ के जो पालतु पशु है चाहे गाय हो, भैस हो, यहॉ के फसल हो, यहा के दूध हो, यहॉ के वनोपज संग्रहण की बात हो ये तमाम

चीजे खत्म होने लगी है। इसके अलावा इनके ई.आई.ए. में जो कमिया है 05–10 उसको हम यहा पे स्पष्ट नहीं कर है क्योंकि मेरा पुरा मन्सा है कि इनको एन.जी.टी. नेश्नल ग्रीन ट्रिब्यूनल इनको कोर्ट में ले जाने का अतः मैं अपनी तमाम बातो को बिन्दुवार विरोध करते हुये इस जनसुनवाई का विरोध करती हूॅ और मैं मांग करती हूॅ कि जिस तरीके से इन्होने अपनी ई.आई.ए. भ्रामक, गलत बताया है उसपे तत्काल यहा पे एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। क्यों लोगो को हमारे यहा के लोगो को इस तरह के झुठे–झुठे बात लिखकर के आप यहा पे उद्योग स्थापित कर रहे है। आपको अगर इतना ही विकास करना है तो बनाईए ना मालिक अपने कंपनी का शेयर रखिये मेरे पीछे जो लड़के खड़े है रोजगार लेके, क्यो मजदूर बनायेंगे आप। आप रोजगार के आधार पर शेयर दीजिये। आपने उनका पुरा संसाधन लिया है। आपन उनका पानी लिया, आपने उनका पहाड़ लिया, आपने उनका जंगल लिया, तो आज क्यों उनको मजदूर और विकास करना ही है तो शेयर दीजिए आन उसका मालिकाना हक बनता है आपके उद्योग में, आप कितना शेयर देना चाहेंगे ये बताईये, कितना आप स्कूल कॉलेज देंगे। अभी तक तो दिया नहीं है ये विस्तार के बाद आप देना शुरू कर देंगे। क्यों झुठ बोलते है साहब, यहा सब पढ़े–लिखे लोग है, कोई अंगुठाछाप गवार नहीं है। जो आप इतने झुठे, भ्रामक चीजो के लेके आते है इतनी सारी बातो के साथ मेरे को उम्मीद है की सरकार के अंदर जो बैठे हुये न्यायधीस के रूप में हमारे पीठासीन अधिकारी है मैं उनसे विशेष निवेदन करती हूॅ कि इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करके खत्म किया जाये ऐसे जनसुनवाईयां करा करके सरकार खुद, स्वयं अपनी सम्मान को खराब कर रही है, बेज्जती हो रहा है। इसमें हमारे क्षेत्र के लोगों की कोई उन्नती इसके विस्तार से नहीं होना है। आदरणीय आपसे मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से हमारे जनता बाहर में खड़े है धुप में उसी तरीके से व्ही.ए. पॉवर कंपनी के कर्मचारी भी इस पण्डाल से बाहर निकले। वो आवेदनकर्ता है और हम अनुमति देने वाले लोग है। तो आवेदनकर्ता ए.सी. में और कूलर में नहीं बैठ सकता केवल पण्डाल के अंदर पीठासीन के जगह में हमारे सरकार के, हमारे अपने जो व्यवस्था है हमारे अधिकारी, कर्मचारी होंगे वोई होंगे। जिस तरह से हम बाहर खड़े है धुप में 40 डिगरी सेल्सीयस में उसी तरह से ये भी बाहर रहे। इसके साथ ही इस तमाम मुद्दो को लेकर मेरा इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करने की मांग है और ऐसे जनसुनवाईयों का मैं सीधे तरह से विरोध करती हूॅ। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।

383. लोकनाथ मालाकार, तराईमाल – इस जनसुनवाई के तहत जो हमको इस ग्रामवासीयो में जो फायदा होता है उसको मैं गिनाता हूॅ, क्यांकि नियम और कानून के तहत ही यह जनसुनवाई हो रहा है। किसी भी प्रकार का अवैधानिक प्रक्रिया नही हैं। छ.ग. शासन का जो नियमानुसार से कानूनी कार्यवाही की जाती है ठीक उसी के तहत् हमारे ये अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, यहॉ पे आकर के कार्यक्रम चल रहा है बचता है सवाल उसका जनसुनवाई का औचित्य–अनौचित्य का तो जनता जनार्दन फैसला करने के लिये बैठी है। आप नहीं कह सकते अनुचित है हम नहीं कह सकते अनुचित है। आप अपने–अपने विचार से सब सही है और इस जनसुनवाई मेसर्स व्ही.ए. पॉवर का जो हम इस इलाके में फायदा होना है उसे मैं कुछ बिन्दुओं में मान्नीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखना चाहता हूॅ। चुंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ पूरे भारत में पिछड़ा था विकासशील कभी गिनती में नहीं आता था। आदिवासी रूलर एरिया है, यहां पर पढ़े लिखे कमजोर है, पढ़े लिखे कमजोर होने का एक ही कारण है, पैसों की कमी, गरीबी, अशिक्षा, संसाधन का नहीं होना। चूंकि सबसे पहले हमको यहा जरूरत होती है किसी भी का विकास करने के लिये आर्थिक सहयोग होना,

आर्थिक मद्द होना, आर्थिक रूप से मजबूत होना। चूंकि इस तरह के फैक्ट्रियों के लगने से हमको रोजगार जैसे अनपढ़ और पढ़े–लिखे लोगो उनके योग्यता अनुसार जरूर दिया जा रहा है। जिनके–जिनके भी यहॉ काम किया जा रहा है लोगो को यहा 50 प्रतिशत लोग जरूर इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे है, और अपने घर और परिस्थिति का आर्थिक समाज में मजबुत बनाकर उचे उठे है। अपने–अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे है, अच्छी सड़क, अच्छी बीजली, अच्छी पानी यहा महुइया हो पा रहा है। चूंकि सरकार के पास उतनी संसाधन नहीं थी जिससे हमारा छत्तीसगढ़ विकास नहीं हो पा रहा था। हम देख रहे है आने वाले 15 सालो में जिस तरह के विकास यहा गढ़े है मे फैक्ट्रियों को नहीं दिया जाता है, फैक्ट्रियों से आमदनी होने से शासन भी यहा के गांव, गरीब जनताओं के लिये ध्यान रख रहीं है। अच्छे सड़क बन रहे है, अच्छे स्कूल बन रहे है, स्कूलों में गुरूजी की स्थापना की जा रही है। अच्छे पढ़ाई हो रहा है, और अपने–अपने विकास के लिये सतत् प्रयत्न है। जहा तक सी.एस.आर. का मानना है गवर्नमेंट अपनी निगरानी रखी हुई है इन फैक्ट्रियों के ऊपर और सतत् इन लोगो का सी.एस.आर. मद का आंकलन किया जा रहा है और इनके द्वारा लिया जा रहा है। सी.एस.आर. के तहत् इन्होने पूर्ण कम्प्लीट किया है लोगो को रोजगार देने के बाद इनके लिये दवाई पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी में रोजगार दिया जा रहा है। इस तरह की उन्नती होना बिना किसी प्लांट लगे बिना किसी उद्योग लगे किसी क्षेत्र का विकास नहीं कहा जा सकता। चूंकि शासन का कड़ी नजर इन पर रखी हुई है इसलिये इनके द्वारा नियम कानुन के तहत् ही फैक्ट्री लगाया जा रहा है, इस तरह के उद्योग लगाया जा रहा है। इस तरह के और मैं आमंत्रित करता हूॅ देश नहीं विदेश से भी आकर चूंकि हमारा यह जमीन खेतीहर नहीं है। ये बंजर जमीन था, मौहा–डोरी बिनकर ये कमाते–खाते थे। दो फसली फसल धान, गेहू, चना, मटर, उड़द ये सब नहीं होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले को छोड़कर कम से कम रायगढ़ जिला जंगली पहाड़ी एरिया है मैदानी एरिया है। चूंकि ये खेती के लायक नहीं थी, अतः यहा पर शतप्रतिशत उद्योगों को जगह दिया जाये हमारे शासन प्रशासन का भी मनसा है की छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक उद्योग लगे, लोगो को काम मिले, लोगो का जीवन स्तर ऊंचा उठे, और हम इस तरह से इस क्षेत्रवासियों के तहर से इनका आभार प्रदर्शन करते है एवं इस फैक्ट्री का लगने का समर्थन करते है। जय हिन्द, जय भारत।

384. रमेश कुमार, तुमीडीह – समर्थन है।
385. संतकुमार यादव, तुमीडीह – समर्थन है।
386. आशीष, पूंजीपथरा – समर्थन है।
387. राम बिलास, तुमीडीह – समर्थन है।
388. मुकेश कुमार राठिया, तुमीडीह – समर्थन है।
389. बीरसिंह, तुमीडीह – समर्थन है।
390. जगत, तुमीडीह – समर्थन है।
391. कैलाश यादव, तुमीडीह – समर्थन है।
392. रघुनंदन, तुमीडीह – समर्थन है।
393. जगलाल, तुमीडीह – समर्थन है।
394. सत्यवान, तुमीडीह – समर्थन है।
395. निषाद राम, तुमीडीह – समर्थन।

396. रमेश कुमार यादव, तुमीडीह – समर्थन।
397. सुनीता गबेल, पुंजीपथरा – समर्थन है।
398. लक्ष्मी कुमारी गबेल, पूंजीपथरा – समर्थन।
399. संगीता, पुंजीपथरा – समर्थन है।
400. स्नेहलता, पुंजीपथरा – समर्थन है।
401. प्रेम, पुंजीपथरा – समर्थन है।
402. गजानंद, तुमीडीह – समर्थन है।
403. कृष्ण कुमार – समर्थन।
404. गजानंद राडिया, पूंजीपथरा – समर्थन।
405. ठाकुर राम, तुमीडीह – समर्थन है।
406. रावेन्द्र, तुमीडीह – समर्थन है।
407. समारू राम, तुमीडीह – समर्थन है।
408. गजानंद, तुमीडीह – समर्थन है।
409. गोपाल, तुमीडीह – समर्थन है।
410. तेजराम, तुमीडीह – समर्थन है।
411. भोजराम, तुमीडीह – समर्थन है।
412. सखाराम, तुमीडीह – समर्थन है।
413. शशिभुषण, तुमीडीह – समर्थन है।
414. सागर कुमार, तुमीडीह – समर्थन है।
415. कमल गुप्ता, तुमीडीह – समर्थन है।
416. भागीरथी प्रधान, तुमीडीह – समर्थन है।
417. अमन कुमार सिदार, तुमीडीह – समर्थन है।
418. शशिभुषण भोय, तुमीडीह – समर्थन है।
419. छबीलाल यादव, समारूमा – समर्थन है।
420. धोबी राम, तुमीडीह – समर्थन है।
421. डीजे रोशन, तुमीडीह – समर्थन है।
422. मोहन राय, तुमीडीह – समर्थन है।
423. सीधुधर राठिया, मुमीडीह – समर्थन।
424. चन्द्रशेखर, तुमीडीह – समर्थन है।
425. सुमीत राम मांझी, तुमीडीह – समर्थन।
426. आंनद मांझी, तुमीडीह – समर्थन है।
427. दिलबोध कुमार, लाजपुर – समर्थन।
428. संतोष मांझी, तुमीडीह – समर्थन।
429. तेजकुमारी, तराईमाल – समर्थन है।
430. शोभा, तराईमाल – समर्थन है।

431. राजकुमरी, तराईमाल – समर्थन है।

432. बबीता, पूंजीपथरा – समर्थन है।

433. बिमला कुमारी, पूंजीपथरा – समर्थन।

434. मंजु कुमारी, पुंजीपथरा – समर्थन है।

435. राधा – समर्थन।

436. सरिता – समर्थन है।

437. संगीता – समर्थन।

438. ज्योति, तराईमाल – समर्थन है।

439. राजकुमारी, धनवारपारा – समर्थन है।

440. आरती तिर्की, पुंजीपथरा – समर्थन है।

441. सुकान्ती चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।

442. सावित्री यादव, अमलीडीह – समर्थन।

443. रामकुमारी, अमलीडीह – समर्थन है।

444. उमा, अमलीडीह – समर्थन है।

445. सहोद्रा, अमलीडीह – समर्थन है।

446. सरस्वती, पूंजीपथरा – समर्थन है।

447. सुशीला, तुमीडीह – समर्थन है।

448. निर्मल लकड़ा, पुंजीपथरा – प्रति क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, टी.व्ही. टॉवर रोड, रायगढ़ छत्तीसगढ़, संदर्भ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली 11003, मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय ग्राउण्ड फ्लोर इस्ट, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर, महाराष्ट्र, बिन्दु 4 सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर छत्तीसगढ़, बिन्दु 5 कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ छत्तीसगढ़, 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ छत्तीसगढ़, 7 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, 8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घरघोड़ा, तमनार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, 9 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़, 10 संचालक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, रायपुर छत्तीसगढ़, सरपंच, सचिव, कार्यालय ग्रामपंचात, सामारूमा, तुमीडीह, अमलीडीह, तराईमाल, तहसील घरघोड़ा, तमनार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ जिल रायगढ़ छत्तीसगढ़, 13 जनसुनवाई पीठासीन अधिकारी, विषय मेसर्स व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 143, 144 एवं 145, सेक्टर–ई, ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित फेरो एलॉयज प्लांट सिलिको मैग्नीज क्षमता–14,400 टी.पी.ए. से 28,800 एम.टी.पी.ए., फेरो मैग्नीज क्षमता–14,400 टी.पी.ए. से 28,800 टी.पी.ए., फेरो क्रोम क्षमता–15,000 टी.पी.ए. से 30,000 टी.पी.ए., फेरो सिलिको क्षमता–7,000 टी.पी.ए. से 14,000 टी.पी.ए., एरिया–4.88 हेक्टेयर (12.05 एकड़) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण करने की स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई पर रोक लगाये जाने बाबत्। संदर्भ 1 क्षेत्र कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़ पत्र क्रमांक 227/क्षेत्र.का. पर्यावरण संरक्षण मण्डल 20,

2018, रायगढ़, दिनांक 12.04.2018, दूसरा मान्नीय उच्च न्यायालय छत्तीगढ़, बिलासपुर, प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.सी.आई.एल. नंबर 130/2017, आदेश दिनांक 03.05.2018, महोदय, महोदय से मेरा निवेदन है भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार मेसर्स व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 143, 144 एवं 145, सेक्टर–ई, ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित फेरो एलॉयज प्लांट सिलिको मैग्नीज क्षमता–14,400 टी.पी.ए. से 28,800 एम.टी.पी.ए., फेरो मैग्नीज क्षमता–14,400 टी.पी.ए. से 28,800 टी.पी.ए., फेरो क्रोम क्षमता–15,000 टी.पी.ए. से 30,000 टी.पी.ए., फेरो सिलिको के रिपोर्ट एवं सी.डी. एक्ट से हम पूंजीपथरा ग्रामवासियों को अनभिग्य रखा गया है, पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा लोकसुनवाई बंजारी मंदिर प्रांगण, तराईमाल में रखी गई है जो कि लोकसुनवाई के नियम के विरूद्ध है, बंजारी मंदिर प्रांगण में लोक सुनवाई किये जाने से संबंधित कंपनी के अधिकारी हमेशा कंपनी के कर्मचारियों को पंजीपथरा निवासी बताकर समर्थन देने के लिये लाते है और मंदिर के दर्शन करने के बहाने से लोग जनसुनवाई का समर्थन करते है। हमारा ग्राम पूंजीपथरा चारो तरफ से 40 कंपनियों द्वारा घेर दिया गया है। सभी कंपनी का अपशिष्ट सामग्री हमारे गांव के चारो तरफ फेक दिया जाता है जिससे नाले का पाट दिया जा रहा है तथा जंगल का भी विनाश हो रहा है। 40 कंपनियों के द्वारा उत्सर्जित धुआं से पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित हो गया है तालाब और बांध पुरी तरह से समाप्त होते जा रहे है। गांव में गंभीर बिमारियों से लोगो का आकस्मिक कृत्यु हो रही है। महोदय से मेरा निवेदन है कि इस जनसुनवाई को इस लोकसुनवाई को वास्तव में रोक दिया जाये क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन का सवाल हैं। हमारा गांव पूंजीपथरा पॉचवी अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत है हम सभी अनुसूचित जनजाती वर्ग से है हम इस प्रदूषण पर्यावरण में जीने के लिये मजबूर है। 40 कंपनियों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषित किये जाने पर गांव में हम सुरक्षित नहीं है। खाने–पीने की वस्तुओं पर भी काली धुल से ढक जाती है, फसल सही नहीं हो पाती है, घरों में भी धुल की परत जम जाती है तो हम खासते है तो खखारने एवं नाक साफ करने पर धुल की काली परत निकलती है। यह सत्य है इन कंपनियों के द्वारा हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारो अनुछेद 14, 16, 19 एवं 21क, 39क, 244क पूर्ण रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। यह सत्य है। इस तरह अनुछेद 14 के अनुसार समता का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अनुछेद 16 के तहत् हमारी जमीने लेने के बाद प्रभावितों को किसी भी कंपनी द्वारा नौकरी या रोजगार नहीं दी गई। यहा तक की सी.एस.आर. से भी वंचित रखा गया। यह भी सत्य है मुझे शर्म आ रहीं है क्योंकि अभी बहुत सी महिला यहां समर्थन देने के लिये आये थे, कोई पूंजीपथरा से बोल रही है, कोई तराईमाल से, कोई अमलीडीह से क्योंकि यहा जो है रोजगार हमारे पूंजीपथरा में अभी मेरे को आकर बोल दे कि किसी को नौकरी अगर स्थाई रूप से दिया गया है तो मैं यहा से पढ़े ही चला जाउंगा। क्योंकि आज हमारे गांव के लोग मैग्नीज जैसी चिज को कबाड़ी जैसे बिन रहे है कबाड़ में जो फेका जा रहा है वेस्ट माल को आज काबाड़ी की तहर बिन के जी रहे है, जो की 15–16 साल पहले एकदम अपने मर्जी से जिया करते थे। यह एकदम बिलकुल सत्य है और इस व्ही.ए. पॉवर की क्षमता पॉवर को बड़ाने वाला लोकसुनवाई को बिलकुल ही जनसुनवाई को रोक दिया जाये क्यों कि हमारी जल, जंगल और जीवन का सवाल है। अनुछेद 16 के तहत् किसी भी कंपनी की स्थापना के लिये हमारे गांव में विधिवत ग्रामसभा आयोजित नहीं की गई है। यह भी सत्य है हमारे गांव में इस प्रकार की ग्रामसभा नहीं हुई है। बहुत से लोगो को मालुम भी नहीं पड़ा है। हमसे पुछा नहीं गया है,

फर्जी ग्रामसभा के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। हमारी उपजीविका छिन ली गई है और हर तरह के विकास से हमे वंचित कर दिया गया है। अनुछेद 21क कक्षा आठवी के बाद घर की गरीबी और बेरोजगारी और गांव में पाठशाला न होने के कारण हम आगे की शिक्षा उस शिक्षा से वंचित हो गये है हमारे गांव के अनुसुचित के महिला एवं पुरूषों को जीविकोपार्जन के संसाधन से वंचित कर दिया गया है। आज हमारे ग्राम में यहा पॉवर प्लांट और स्टील प्लांट के बसे हुये आये हुये और यहा चलाये जाने का जो समय है 14–15 साल हो गये है, लेकिन क्या हमारे गांव में एक स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य संबंधित कोई मकान बना है या फिर कोई स्कूल बना है। अगर आज कोई भी अधिकारी जाकर मेरे को बोले और रोके यह असत्य है अगर वहा कोई अस्पताल खोला गया है स्वास्थ्य संबंधित के लिये या फिर स्कूल खोला गया हो तो मुझे अवश्य बोले अभी बोले, बिल्कुल बोले स्वतंत्र है मैं सुनने और समझने के लिये तैयार हूॅ। अनुछेद 244 के तहत् पॉचवी अनुसूची हमारे स्वतंत्र शासन का अधिकार से हम वंचित हो गये है। गांव में गैर आदिवासियों के द्वारा शासन किया जा रहा है। ग्रामसभा का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में नहीं है। कोई किसी प्रकार का सुनवाई वहा नहीं होती है। 14 अप्रैल की निर्धारित ग्रामसभा की भी सरपंच, सचिव द्वारा निरस्त कर दी गई इन सब कारणों से मान्नीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में तेजराम मांझी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है जिसका प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.बी.आई.एल. नंबर 130/2017 है। दिनांक 05, 2018 को मान्नीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा संबंधित विभागों एवं 34 कंपनियों को जॉच के निर्देश दिये गये हैं एवं 03 माह का समय दिया गया है मेरे भाई लोग। 03 माह का समय दिया गया है, जॉच का समय जिसमें व्ही.ए. पॉवर कंपनी भी शामिल है। अतः मान्नीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन जॉच प्रक्रिया के दौरान व्ही.ए. पॉवर के लिये पर्यावरण करने की स्वीकृति देने के लिये दिनांक 15.05.2018 को नियत लोकसुनवाई पर रोक लगाई जाये, रोक लगाई जाये, बिल्कुल सही है। तेजराम मांझी शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा जो भी जॉच की जायेगी उसकी सूचना मुझे 03 दिन पहले दी जाये। हमारे गांव मान्नीय न्यायालय बोल रहा है 03 दिन पहले सूचना दी जाये और मेरी उपस्थिति में चारो पंचायतों में जॉच की जाये। हमारे गांव के लोग और भाई भी कम पढ़े–लिखे है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कंपनी के पक्ष में प्रतिवेदन तैयार करते है, इसलिये 03 दिन पहले सूचना दी जाये, क्योंकि हमारे द्वारा दायर जनहित याचिका में मान्नीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.05.2018 को यह फैसला मेरे पक्ष में पारित किया गया है। मैं पूर्ण रूप से मैं श्री निर्मल लकड़ा, पूंजीपथरा मैं पूर्ण रूप से मेरे गांव वासीयों को भी बोलु की ये व्ही. ए. पॉवर का ये जो लोकसुनवाई, जनसुनवाई को निरस्त कर दिया जाये यही मेरी मान्नीय महोदय से उम्मीद है। धन्यवाद।

449. जलप्रसाद, तुमीडीह – समर्थन।

450. हेनरीहर्ष लकड़ा, पुंजीपथरा – प्रति लोकसुनवाई पीठासीन अधिकारी, बंजारी मंदिर प्रांमण दिनांक 15.05. 2018, विषय व्ही.ए. पॉवर एवं स्टील प्लांट प्राईवेट लिमिटेड की जनसुनवाई पर रोक लगाई जाने बाबत्। महोदय पूंजीपथरा गांव में पर्यावरण प्रदूषण सभी 40 कंपनियों के द्वारा इतना अधिक बड़ गया है कि पर्यावरण अब इन्सानों के जीने लायक नहीं है। मान्नीय उच्च न्यायालय में तेजराम मांझी के द्वारा जनहित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.बी.आई.एल. नंबर 130/2017 के आदेश दिनांक 03.05.2018 को जॉच के निर्देश के लिये गये थे परन्तु यह जॉच भी फर्जी तरीके से दिनांक 08.05.2018 को रायगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई है। इस जॉच की सूचना पुरे गांव वालों को नहीं दी गई थी, कई लोग गांव से

बाहर थे। दूसरे गांव से मरीजो को जॉच के लिये बुलाया गया जो स्वस्थ लोग थे जिनको गंभीर बीमारी नहीं थी। अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की जॉच संदिग्ध है। हमने मांग की है कि चारो पंचायत में की जाने वाली जॉच को 03 दिन पहले सूचना देकर तथा तेजराम मांझी व वकील की उपस्थिति में की जाये। अतः इस जनसुनवाई पर रोक लगाई जाये।

451. नीराकार यादव, समारूमा – समर्थन है।
452. गोपाल यादव, समारूमा – समर्थन है।
453. रोहित, समारूमा – समर्थन है।
454. गलेश्वर, तराईमाल – समर्थन है।
455. मेहत्तर, तराईमाल – समर्थन है।
456. मेहतराम, तराईमाल – समर्थन है।
457. झनक कुमार राठिया, पूंजीपथरा – विरोध।
458. उमाशंकर, तुमीडीह – समर्थन है।
459. रत्थुराम श्रीवास, तुमीडीह – समर्थन।
460. महेशराम, पूंजीपथरा – समर्थन।
461. पंचराम – समर्थन।
462. हितेश कुमार राठिया – समर्थन।
463. सनीकुमार सिदार – समर्थन।
464. रोशन कुमार सिदार – यहां के लोगो को रोजगार देता है तो मैं समर्थन करता हूॅ।
465. मंजु, पुंजीपथरा – समर्थन है।
466. सुशीला, पूंजीपथरा – समर्थन।
467. तुलसी, पुंजीपथरा – समर्थन है।
468. एतवारी, पूंजीपथरा – समर्थन।
469. तारा बाई निषाद, उज्जवलपुर – समर्थन है।
470. सतीन लकड़ा, उज्जवलपुर – समर्थन है।
471. सोन बाई, उज्जवलपुर – समर्थन।
472. रीता, उज्जवलपुर – समर्थन है।
473. ज्योत्सना, उज्जवलपुर – समर्थन है।
474. चम्पा – समर्थन है।
475. सीता – समर्थन है।
476. सुशीला भगत, तराईमाल – समर्थन है।
477. सोनकुअर, तराईमाल – समर्थन है।?
478. नीली उरांव, तराईमाल – समर्थन है।
479. निलेश्वरी, तराईमाल – समर्थन।
480. रोहित कुमार सिदार, आमाघाट – समर्थन है।
481. विवेक, आमाघाट – समर्थन।

482. मोहीदास, तराईमाल – मै सात साल से काम किया व्ही.ए. पॉवर में जिसका पैसा नही मिला। इसलिये मैं समर्थन नहीं करता हूॅ।
483. श्याम यादव, सामारूमा – समर्थन।
484. रमेश कुमार, तराईमाल – समर्थन है।
485. कार्तिकराम, तराईमाल – समर्थन है।
486. पीटुराम पटेल – समर्थन है।
487. बबलु – समर्थन है।
488. महेश – समर्थन है।
489. कमल – समर्थन।
490. रिशीकेश, अमलीडीह – समर्थन है।
491. पवन कुमार, अमलीडीह – समर्थन।
492. बलराम चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।
493. खगेश चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।
494. राजेन्द्र कुमार, तुमीडीह – समर्थन।
495. रोहित कुमार, अमलीडीह – इस कंपनी द्वारा हमारे गांव वालों रोजगार दिया जाता है तो मैं पूर्णतः समर्थन करता हूॅ।
496. गोलुराम, लालपुर – समर्थन है।
497. प्रदीप कुमार, अमलीडीह – समर्थन।
498. कृष्ण कुमार चौहान, अमलीडीह – समर्थन है।
499. गोलु यादव – समर्थन।
500. विनादराम कुजूर – समर्थन है।
501. मालिकराम, तुमीडीह – समर्थन।
502. जय कुमार, अमलीडीह – समर्थन है।
503. प्रेम कुमार, अमलीडीह – समर्थन है।
504. साजन राठिया, अमलीडीह – समर्थन है।
505. नरेश कुमार, अमलीडीह – समर्थन है।
506. प्रेमसागर, अमलीडीह – समर्थन है।
507. विदेशी राठिया, अमलीडीह – समर्थन है।
508. कलाराम चौहान – समर्थन है।
509. रघुवीर पण्डा, अमलीडीह – इसमे जो समर्थन दे रहे है उसका समर्थन का क्या निर्णय है अगले साल भी आये थे ऐसे जनसुवाई में। आप भी बैठ रहे है जितने भी आये है रायगढ़ से गणमान्य ये हमारे अमलीडीह, पूंजीपथरा, तुमीडीह, छर्राटांगर से इनको क्या लेना है हमारे जगह में। हम इतना महोदय से अनुरोध कर सकते है कि इसका निराकरण आप करके देखिये हमारे यहॉ जनता को मिलेगा रोजी–रोटी, खाने–पीने के लिये भी मिलता है इसके आधारित में यह कहते है कि हम नहीं खुलने देंगे। पहले भी कई झने भाषण देके चले गये उस भाषण को तो हम नहीं समझे। वो तो एक–आध ठो खोल करके देखे ना भाई कहा स्कूल

नहीं बन रहा है कहा सचिवालन नहीं बन रहा है उसको कौन करेगा तो, ऐसे–ऐसे चींजो को आप लोगो को प्वाईंट बनाकर लिखना चाहिए सर, महोदय जी, और हमारे यहॉ फैक्ट्री खुलना चाहिए। हमारे पब्लिक को हमारे गरीब आदमी को रमन सिंह जब खाने के लिये दे सकता है तो रोजी–रोटी के लिये साग–सब्जी के लिये दे तब ना सब फैक्ट्री खुलेगा, आप लोग देखके, काला चश्मा पहनके पुरा आख मुंद दिये है सब अधिकारी और यहा परेशान कर रहे है हर साल जनसुनवाई–जनसुनवाई क्या कर रहे है यहॉ पर जनसुनवाई में फैक्ट्री तो खुलेगा, हम खुलवायेंगे हमारा रोजी–रोटी बढ़ेगा, हम तो काम करेंगे ना। ये सब आप लोगो को ध्यान देते हुये हम आपसे सादर आमंत्रित है दस हाथ का विनती है सर इसमें आप लोग कोई उल्लंघन मत कीजिए, यहा बहुत पब्लिक है सुन रहे है सब झने। यहा रोटी खाने नहीं आये है किसी फैक्ट्रीवाले का कमिशन खाने के लिये हम। ऐसे खायेंगे तो हम डेली खिला सकते है अपने घर में कृपया मेरा अनुरोध है सर क्षमा मांगता हूॅ मैं अगर कुछ गलत बोल दिया हूॅ तो। इस चीज का आप ध्यान देते हुये थोड़ा ध्यान दीजिए फैक्ट्री खुलेगा माने खुलेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है।

510. कुवर साय, तराईमाल – समर्थन है।
511. के.के. निषाद, उज्जवलपुर – समर्थन है।
512. आनंद, तराईमाल – समर्थन।
513. विनोद, पुंजीपथरा – समर्थन है।
514. दीपक लकड़ा, पुंजीपथरा – समर्थन है।
515. विनोद राठौर, तराईमाल – समर्थन है।
516. कान्हा, उज्जवलपुर – समर्थन।
517. रंजन निषाद, उज्जवलपुर – समर्थन है।
518. पारस राम, तराईमाल – समर्थन है।
519. चन्द्रभानु चौहान – समर्थन है।
520. रहितराम, उज्जवलपुर – समर्थन।
521. सुरेश प्रधान, तराईमाल – समर्थन।
522. विनोद उरांव, तराईमाल – समर्थन है।
523. प्रताप तिग्गा – समर्थन।
524. जगन्धर साय, तराईमाल – समर्थन है।
525. रविशंकर, तुमीडीह – समर्थन है।
526. कामेश्वर चौहान, तराईमाल – समर्थन।
527. लीना, तराईमाल – समर्थन है।
528. जानकी बंजारा, तराईमाल – समर्थन है।
529. मुन्नी बाई – समर्थन है।
530. मेनका खलखो, तराईमाल – समर्थन है।
531. बबीता, तराईमाल – समर्थन है।
532. हनासंता, तराईमाल – समर्थन है।
533. लक्ष्मी राठिया, अमलीडीह – समर्थन है।

534. लक्ष्मीन कुमारी, पूंजीपथरा – समर्थन है।
535. चमेली – समर्थन है।
536. लक्ष्मी निषाद, तराईमाल – समर्थन है।
537. मंजु निषाद, रायगढ – समर्थन है।
538. गुरबारी – समर्थन है।
539. सुशीला चौहान, तराईमाल – समर्थन है।
540. नोनीबाई, तराईमाल – समर्थन है।
541. सोनु – समर्थन है।
542. पीटु गुप्ता, तुमीडीह – समर्थन है।
543. दीलिप कुमार – समर्थन।
544. संतोष यादव, कचकोबा – समर्थन है।
545. एलरेट बड़ा – समर्थन।
546. फगुराम – समर्थन है।
547. सुरज कुमार – समर्थन है।
548. चन्द्रकुमार मिश्रा – समर्थन।
549. मोतीबाई, तराईमाल – समर्थन है।
550. खीलकुंवर, तराईमाल – समर्थन।
551. यशोदा, पूंजीपथरा – समर्थन है।
552. तारा, पुंजीपथरा – समर्थन है।
553. सजनमती, पुंजीपथरा – समर्थन है।
554. चम्पा, तराईमाल – समर्थन है।
555. उषा, पूंजीपथरा – समर्थन।
556. सोहद्रा, पूंजीपथरा – समर्थन है।
557. फिजरू यादव, तराईमाल – समर्थन है।
558. सुरज तिर्की, तराईमाल – समर्थन है।
559. चन्द्रसेन कुमार भगत, तराईमाल – समर्थन है।
560. ज्ञानु, तुमीडीह – समर्थन है।
561. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ – 14 सितम्बर 2006 के केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जो आज जनसुनवाई आयोजित व्ही.ए. पॉवर स्टील लिमिटेड के द्वारा आयोजित की जा रही है उसमें इस क्षेत्र के जो पर्यावरणीय महत्वपूर्ण मुद्दे है कि 2015–16 में एक केन्द्रीय पॉल्युशन बोर्ड की टीम इन क्षेत्रों में अध्ययन किया और अध्ययन करने पर पाया कि रायगढ़ जो जिला है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित जिलो में से एक है। अध्यक्ष महोदय अगर इस पुरे क्षेत्र को हम लोग देखे तो ये हाथी प्रभावित क्षेत्र रहा है और जहॉ ये कंपनी का विस्तार होगा अगर उसके 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देखे तो एक सामारूमा और दूसरा झिंगोल के पास एलिफेंट टावर भी बनाया गया है कि हाथियों के लोकेशन को कैसे अध्ययन करे कि किन क्षेत्रों में हाथियों का आना–जाना, विचरण होता है। सर सबसे बड़ी बात यह

है कि सामारूमा रेंज के अंदर अगर हम देखे तो लगभग 256 ऐसे परिवार है जहां हाथियों के द्वारा कृषि क्षति या हाथियों के द्वारा मारे गये लोगो को क्षतिपूर्ति के रूप में वन विभाग द्वारा समय–समय पर उनको क्षतिपूर्ति विपरित की गई है। इससे यह कह सकते है कि ये पुरा क्षेत्र है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र है। अगर इस पुरे क्षेत्र को देखे तो यहा हाथियों के अलावा भालू पर्याप्त मात्रा में है, इस क्षेत्र में बारहसिंघा पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है इस क्षेत्र में अगर देखे तो जंगली और कई प्रकार के चाहे लोमड़ी की बात करे चाहे सियार की बात करे और अलग–अलग तरीके के जन्तु पाये जाते है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो प्रदूषण मापन की बात किया है और जिस कंपनी द्वारा ई.आई.ए. बनाई गई है उन्होने इस क्षेत्र का जो प्रदूषण का अध्ययन किया है और अध्ययन रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी बात है पी.एम. 2.5 और पी.एम. 10 जिसकी मात्रा का जो अध्ययन किया गया है, जनचेतना द्वारा रायगढ़ जिले में एयरबेदा नाम के 10 इन्स्टुमेंट लगभग 10 अलग–अलग जगह पर लगाये है, और जनवरी से हम उसका एयरबेदा इन्स्टुमेंट के माध्यम से जो हम लोग अध्ययन कर रहे है उसमें हमारी एक मशीन टेण्डा नवापारा में लगी है, एक सराईपाली में लगी है, एक पूंजीपथरा में हमने लगा के रखा है, एक रायगढ़ का किरोड़ीमल जो चौक है वहा पर मशीन लगी है और उसी के साथ–साथ रायगढ़ के बेलादुला में है, रायगढ़ में बोईरदादर पर एक मशीन लगी हुई है, टी.व्ही. टावर के पास एक मशीन लगी है, एक इतवारी बाजार में लगी है, केलो बिहार में लगी है, एसे हमने 10 अलग–अलग इन्स्टुमेंटो को लगाया है और उसका कन्टिन्यू सुबह, दोपहर और शाम हमारे रायगढ़ जिले के अंदर जहा औद्योगिकरण हुआ है जहा ज्यादा ट्रांसपोटिंग हो रही है उन क्षेत्रों में एयर पाल्यूशन क्या है? तो अभी आपको बता दूं कि जो पी.एम. 2.5 का रेसियो है वो लगभग 110 तक जाता है। 110, 120 कभी 90, कभी 100 और जो पी.एम. 10 का रेसियो आ रहा है वो हमारा 450 तक गया है और जो अध्ययन रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि 50 से 100 तक अगर आपका पी.एम. 2.5 है तो एक बेहतर इन्वायरमेंट की बात की जाती है, अगर वो 50 से 100 के बीच में है तो थोड़ा इन्वायरमेंट कही न कही बिगड़ा है, अगर हम 200, 300, 400 से क्रास करते है तो वहा माना जाता है जो पर्यावरणीय अध्ययन है और पर्यावरणीय वहा को वो है व्यापक पैमाने पर इतना ज्यादा खराब है कि वो जीवन के लिये खतरा पैदा हो जाता है। तो सर हम भी कन्टिन्यू अध्ययन कर रहे है और पुरे जो पी.एम. 2.5 है पी.एम. 10 की जो अध्ययन रिपोर्ट है हम फेसबुक के माध्यम से सोशलमिडिया के माध्यम से लोगो तक ले भी जा रहे है और ये भी कोशिश कर रहे है कि हम सब मिलकर के इन्वायरमेंट को बेहतर कैसे कर सकते है कि जो जीवन के लिये बेहतर हो जीवन के लिये सुरक्षा प्रदान करता हो। दूसरी सर हम ट्रांसपोर्टिंग की बात कर रहे है कि इस कंपनी का जो कच्चा माल आयेगा वो हमारा रोड के माध्यम से या रेलगाड़ी के माध्यम से रोड में ट्रको के माध्यम से ट्रांसपोर्टिंग होगा और जो माल बनेगा वो ट्रको के माध्यम से हमारा माल दुसरे जगह जायेगा। बुनियादी सवाह यह है कि सर रायगढ़ में विगत 10 सालो के अंदर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर रहा है वही इन्फ्रास्ट्रक्चर सड़को का आज भी रायगढ़ के अंदर है और जिस तरीके से हमारी सड़को पर वाहनों का वजन बढ़ा है उससे हम पुलिस विभाग के अध्ययन रिपोर्ट को बोले उनकी रिपोर्ट की अगर हम बात करे तो लगभग 01 साल के अंदर 240 मोते हमारी दुर्घटनाओ मे और 2600 से कही ज्यादा एक्सिडेंटल लोग फिजिकली अर्पित हुये है जरूरत इस बात की है की हम चाहते है कि विकास हो, उद्योग लगे, उद्योग स्थापित हो पर जो पर्यावरण के पैमाने होने चाहिए जो उनके लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होनी चाहिए वो कही न कही हमारे अब रायगढ़ जिले में कम से कम वो इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, मुझे लगता है

कि इस बात पर सरकार को गंभीरतापुर्वक विचार किया जाना चाहिए और इन्फ्रास्ट्रक्चर जब हमारा तैयार हो तब हमारे जो पर्यावरणीय काफी जो जनसुनवाईयां हुई है उनके पर्यावरणीय जो परमिशन की बात है वो अनुमति की बात पर विचार किया जाना चाहिए। सर जहा हम लोग ये देखते है कि अभी हमने विगत 15–20 दिन पहले एक पी.एच.ई. विभाग की रिपोर्ट हमने निकाली है पानी की और पानी का जो पी.एच. की मात्रा होनी चाहिए तो वो रायगढ़ में लगभग पी.एच.ई. विभाग ने 2017 और 18 में लगभग 1700 हैण्डपंपो का जो ड्रिंकींग वाटर प्वाईंट है चाहे चाहे वो स्कूल के रहे हो, चाहे वो सरकारी भवनों के पास रहे हो, चाहे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल का प्वाईंट रहा है उनकी जो रिपोर्ट आई है वो काफी भयावह है कि हमारे जो पानी का स्तर है जो पहले हमारे पास 30 से 40 और 100 फिट बीच में पर्याप्त मात्रा में ड्रिंकींग वाटर के लिये पानी मिलता था, आज पानी की वो स्थिति हो गई है कि 300 फिट नीचे अगर बोर खोदे तब शायद हमको पानी पीने के लिये मिलता है और 300 फीट के नीचे इस पूरे क्षेत्र में सर फ्लोराईड की इतनी ज्यादा मात्रा है कि अगर तमनार के मुड़गांव और उसके अलावा अगर आप 10 गांव को देखेंगे आस–पस का तो फ्लोराईड की वजह से सराईटोला में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के अगर आप दांत देखिये पूरे काले पड़ गये है, फ्लोराईड की वजह से लोग कुबड़े हो गये है, फ्लोराईड की वजह से वे काम करने में इतने अक्षम हो गये है कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ सरकार द्वारा किसानों के ऊपर ये कार्यवाही की जाती है कि कोई भी आप नया बोर उत्खनन करोगे तो आपके ऊपर कार्यवाही होगा, कृषि का सरकार ने कहा की धान पर पाबंदी लगा दिया कि अगर आप पानी ज्यादा जमीन से निकालोगे तो वाटर लेबल गिरेगा इसलिये धान की खेती मत करो। सर सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ जिले के इस क्षेत्र में 16 लाख 54 हजार घनलीटर पानी ये पी.एच.ई. विभाग, एरिगेशन विभाग को जो सूचना के अधिकार में रिपोर्ट निकाला तो उन्होने बताया कि रायगढ़ जिले में वर्तमान में 22 लाख 56 हजार घनलीटर पानी प्रतिदिन उद्योगो द्वारा दोहन किया जाता है और उससे उद्योग संचालित होते है और पहले उद्योगों द्वारा जिनकी परमिशन थी उनको 03 रूपये घनलीटर पानी दिया जाता था, जो अवैधानिक तरीके से चलाते थे उनको 09 रूपये घनलीटर पानी दिया जाता था। अभी विगत 02 सालो से रायगढ़ जिले का एक भी उद्योग ने अपना जलकर जो है एरिगेशन विभाग में नहीं दिया है अब बताईये 22 लाख 56 हजार इनटु अगर 09 आप करीये तोक एक दिन का पानी का कितना पैसा हुआ और अगर 365 इनटु हम कर दे तो रायगढ़ जिले का इतना पैसा हो जाता है कि उतना हमारे छत्तीसगढ़ का 01 सत्र का बजट नहीं होता और इसके बावजुद भी हम सरकारों से पैसा मांगते है आखिर ये क्यों, जब हम एक तरफ किसानों को दोषी मानते है जो हमारा पेट भरने का काम करता है वो किसान अपने खेती–किसानी से और दूसरे तरफ हमारे जो उद्योग स्थापित है वो पानी भी ले रहे है बिजली बिल भी नहीं दे रहे है, पानी का जलकर भी नहीं दे रहे है और इसके बावजुद भी परमिशन पर परमिशन चल रही है। तीसरी बात सर ये है कि पर्यावरणीय अध्ययन का अभी मुझे मालुम है कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका यहॉ की दायर हुई है और वो 02 मामलो पर जनहित याचिका हुई है, एक तो इस क्षेत्र में औद्योगिकरण की वजह से फैलने वाली बीमारियों पर और दूसरा इस क्षेत्र में जो खेतो में खलिहानों में जंगलो में व्यापक पैमाने पर फ्लाई ऐश डाला जाता है सर। एक सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन भी है, पर्यावरण मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन है, एन.जी.टी. के अभी कई गाइडलाईने है कि आप फ्लाई ऐश को कैसे रखोगे और फ्लाई ऐश का कैसे निस्तारण करना है। रायगढ़ जिले में केवल 20 प्रतिशत फ्लाई ऐश

का निस्तार होता होगा तो बहुत बड़ी बात है तो उसका निस्तारण कैसे हम एक बेहतर तरीके से करे, मुझे लगता है कि सरकार को और खास तौर से हमारे जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग को इस बात को देखना चाहिए कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जो ध्वनि प्रदूषण कि वजह से ये हो रही है तो उसको बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट को हम कैसे बना सकते है और जब तक अगर इन्वायरमेंट बेहतर नहीं बनता तब तक मुझे लगता है कि ऐसी जनसुनवाईयों पर, ऐसे पर्यावरण स्वीकृति पर सरकार को विचार भी करना चाहिए और यहा का इस पुरे क्षेत्र का सरकार को अपनी जिम्मेदारी में अपनी निगरानी में पर्यावरणीय अध्ययन किया जाना चाहिए उसके सोशल इम्पेक्ट क्या हो रहे है लोगो के बीच में उसका एक अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके बाद आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाना चाहिए। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

562. सुनील कुमार बेहरा, तराईमाल – मैं अध्यक्ष महोदय से दो चार शब्द कहना चाहता हूँ कि आज हमारे क्षेत्र में बहुत से औद्योगिक है जिसमें हम लोगो को जिस तरह से आज–कल बेरोजगारी बड़ रही है उस हिसाब से हमारे यहा उतनी बेरोजगारी नहीं है इन उद्योगो की वजह से लेकिन उद्योगो के बढ़ाने से अपने गांव की भी विकास होनी चाहिए इस विकास के लिये सबसे पहला उत्तरदायित्व हमारे सरकार की होनी चाहिए कि अपने उद्योगो से कहे कि जिस जगह उद्योग लगी है उस जगह के आस–पस के गांव को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे, जहां नाली नहीं है वहां नाली बनवाना चाहिए, जहां सड़क नहीं है सड़क बनवाना चाहिए और महीने में कम से कम एक बार स्वास्थ्य केन्द्र का कैंप लगवाना चाहिए यहां अनेक प्रकार की बीमारी भी हो रही है इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि सभी उद्योगो से बोलकर कम से कम महीने में एक बार स्वास्थ्य शिविल लगवाया जाये। उद्योगो द्वारा जैसे इन्सान को जीने के लिये जीवनयापन करने के लिये रोजगार चाहिए, अपने बच्चों के पढ़ाई–लिखाई के लिये रोजगार चाहिए। इसीलिये उद्योग तो होने ही चाहिए लेकिन साथ–साथ गांव की विकास भी होनी चाहिए उसके बाद शहर की विकास होनी चाहिए, गांव से ही शहर बनती है तो मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे प्लांटो में भी बहुत सी घटना होती रहती है इस घटना के लिये मेरे सरकार से मेरे गवर्नमेंट से आग्रह करूंगा कि बहुत सी दुर्घटना हो जाती है जो दुर्घटना में काम करते करते किसी कारण अपंग हो जाते है या मर जाते है, उसको कुछ नहीं दिया जाता तो इस पर गवर्नमेंट को सोचकर उसको मर जाने से या अपंग हो जाने से उसको कुछ दिलाया जाये या उसको पेंशन निर्धारित किया जाये। इसपर विचार करते हुये अपने कलेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए और बहुत से उद्योग खुले है और बहुत से भाई–बहन बाहर से कमाने आते है और इसी चक्कर में बहुत से दुर्घटनाये भी होते रहते है, और चारी डकेती होती है पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहूंगा कि चिन्हित किया जाये उन व्यक्तियों को और सभी से अपनी पहचान पत्र उद्योगो को बोले की सभी कर्मचारियों का पहचान पत्र थाने में जमा करवाये। इस विषय पर तो बहुत से थाने वाले जमा कराने बोले है लेकिन अभी तक उसपर कार्य पुरा नहीं किया गया है इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा चिन्हित कर इस विषय पर जोर दें और इसपर ध्यान दे। धन्यवाद। मैं इस व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील का समर्थन करता हूँ।

563. कार्तिक, तराईमाल – समर्थन है।

564. कमल, पुंजीपथरा – समर्थन है।

565. अनुशेखर, पूंजीपथरा – समर्थन।

566. लक्ष्मण पुंजीपथरा – समर्थन है।

567. सुरेश कुमार पैकरा, पुंजीपथरा – समर्थन है।

568. विजय कुमार, पुंजीपथरा – समर्थन है।

569. राजकुमार डनसेना, पुंजीपथरा – समर्थन है।

570. बनवारी यादव – समर्थन।

571. दीलीप, पुंजीपथरा – समर्थन है।

572. परसुराम, पुंजीपथरा – समर्थन है।

573. लक्ष्मी प्रसाद सोनी, पुंजीपथरा – समर्थन है।

574. विक्रम सिंह निराला, तराईमाल – समर्थन है।

575. प्रफुल कुमार मालाकार, तराईमाल – समर्थन है।

576. राहुल हंसराज, तराईमाल – समर्थन है।

577. चन्द्रशेखर चंद्रा, उज्जवलपुर – समर्थन है।

578. आकाश नायक, उज्जवलपुर – समर्थन।

579. कमला श्रीवास, तराईमाल – समर्थन है।

580. पुष्पा हंसराज, तराईमाल – समर्थन है।

581. खुशी, उज्जवलपुर – समर्थन है।

582. प्रमीला, उज्जवलपुर – समर्थन है।

583. किशन – समर्थन है।

584. रोशन कुमार साहू – समर्थन है।

585. संजय प्रधान – समर्थन है।

586. रमेश अग्रवाल, जन चेतना, रायगढ़ – बहुत संक्षिप्त में बाते अपनी रखना चाहता हूॅ कि जब ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार ही नहीं थी पुरे तरीके से तो फिर जनसुनवाई कराने की क्या दरकार है। सर मिनीस्ट्री ने टर्म ऑफ रिफरेंश 5.5 उस पर वाईल्ड लाईफ कंसरवेशन प्लान बनाने के लिये कहा गया था क्योंकि क्षेत्र में जंगली हाथी वन्य प्राणियों का आवगमन रहता है उसको ई.आई.ए. में बताया गया है कि वो अभी तैयार नहीं है रेडी हो रहा है तो मेरा यह मानना है कि जब ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार नहीं थी और टी.ओ.आर. का कम्प्लायंश हो रहा है कि नही हो रहा है यह देखना छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल का काम है तो बिना कंजरवेशन प्लान के जनसुनवाई क्यों करवाई जा रही है जब कंजरवेशन प्लान तैयार हो जाता तो चार महीने में छः महिने में उसके बाद भी रखी जा सकती थी जनसुनवाई तो कंजरवेशन प्लान अब पब्लिक के बीच में नहीं आयेगा। पब्लिक हेयरिंग में नहीं आयेगा वो बनेगा तो सीधे मंत्रालय में जायेगा और वहा पर उसमें विचार विमर्श होगा तो यहा जो भाग ले रहे है तो उन्हे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा इसलिये मैं मानता हूॅ कि ये जो जनसुनवाई है पूरी तरीके से अवैधानिक है। दूसरा मेरा जो इसू है कि जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क का ही इनवायरमेंट क्लीयरेंश नहीं हुआ मैने मीनिस्ट्री की वेबसाईट भी देखी, आर. टी.आई. में जानकारी भी मांगी जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क का इनवायरमेंट क्लीयरेंश नहीं है तो बजाय उसकी जनसुनवाई करवाने के इन उद्योगों की जनसुनवाई करवाने का क्या तात्पर्य है। कल को मीनिस्ट्री ने या बोर्ड ने कुछ एक्शन लिया और ये कहते है जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क भी इंलीगल है तब ये तो 28–30 यूनिट

वहा पे काम कर रही है रनींग कर रही है जो की बहुत बड़े उद्योग नहीं है उनका भविष्य क्या होगा इस बात को बोर्ड भी ध्यान दें और मीनिस्ट्री भी ध्यान दे कि वो इस पर कार्यवाही करे ताकि वहा पे जो उद्योग लगे हुये है कम से कम उनके हितो का संरक्षण हो सके। अब बहुत कुछ नहीं है बस मैं पॉच मिनट चाहुंगा कि जो उद्योग के प्रतिनिधि है रेड्डी जी। सर आपने जो स्टडी की वो मार्च 2017 से मई 2017 को की क्या इस पीरियेड में आपने और किसी उद्योग की स्टडी की थी, सिंघल की सिंघल इंटरप्राईजेस की सेम पीरियेड में मार्च 2017 से मई 2017 के बीच आपने सिंघल की ई.आई.ए. बनाई थी और उसमें जो बहुत सारे आपके मानीटरिंग स्टेशन्स है वो कामन है पूंजीपथरा, जमडबरी, तराईमाल तब मुझे यू ही एक शंका सी हो रही थी कि जब एक ही पीरियेड में और उन्हीं गांव में स्टडी हो रही है तो दोनों में डिफरेंस कैसे, क्योंकि इसमें बहुत ही फरक आ रहा था इसलिये मैने पुछा। आई.एम.डी. स्टेशन जो है पेज 3–2 पे आपने लिखा है झारसीगुड़ा, ये कौन सा स्टेशन है झारसीगुड़ा मैने कभी ये नाम सुना नहीं है। एक सर आपने इसमें लिखा है कि प्रोजेक्ट के आने से गांव वालों को लाभ होगा जमीनों की कीमत बड़ेगी तो इनसे उनको बेनीफिट होगा वो तो दोनो गांव पूरा जिंदल का है गांव वाले कहा लगे है उसमें पुरी जमीन जिंदल की है तो गांव वाले को कौन सा फायदा होगा। सर कुछ चीजे तो मैने जो रेड्डी साहब से पूछे। सर मेरा यह कहना है इसमें कि जो भी डाटा इन्होने एयर क्वालिटी के समय में दिये है वो अविश्वसनिय से लगते है कारण यह है कि 2010 में सेन्ट्रल पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टडी की थी और इस एरिया को पूरे तराईमाल क्षेत्र को मोस्ट पाल्युटिंग एरिया माना था 2010 में ये कापी मेरे पास मे है उसकी और खास पूंजीपथरा में जहा पे प्लांट लगने जा रहा है जिंदल इंस्टिट्यूट का जो हास्टल है वहा पे उन्होने मानीटरिंग की और पैरामीटर्स जो वहा पे पाये गये थे, आर.पी.एम. 242 एण्ड एस.पी.एम. 608 जो की नार्मल लेबल से बहुत ज्यादा है इसके अलावा उन्होने गेरवानी मे भी किया, तराईमाल में भी किया सब जगह इतना है तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में दिया जाये इसपर जो है कि या तो सेन्ट्रल बोर्ड की कमेटी ही फिर आये और यहा की मानीटरिंग करे एक बार, 08 साल हो गये इन बातो को तो पाल्युशन तो कम होने का मतलब नहीं है बढ़ेगा ही तो ये कर ले तो अच्छा है। दूसरा एक बात मेरे को समझ में ये नहीं आ रही है कि पर्टिकुलर मैं एक व्ही.ए. पॉवर की बात नहीं कर रहा हूँ इंडस्ट्रीयल पार्क में 28 से 30 इंडस्ट्री है और लगभग इसी किस्म का कोई फेरो एलायज बना रहा है इसी टाईप के इंडस्ट्री है वहा पे। पहले तो रेड्डी साहब ही लिखते थे कि जिंदल के कॉमन डिस्पोजल यार्ड में डिस्पोज किया जाये तो मैं एक सवाल उठाया था मैने रेड्डी साहब से पुछा था तो इस बार उन्होने लिख दिया नहीं जिंदल के डिस्पोज यार्ड में नहीं होगा, दूविधा में पड़ गये थे शर्मा साहब जब मैने आर.टी.आई. लगा दिया था तो। तो अब ये लिख रहे है कि रोड बनायेंगे, स्वीमिंग कन्सट्रक्शन में लगायेंगे एक्सेप्ट्रा–एक्सेप्ट्रा अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है मैं खाली व्ही.ए. पॉवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि सारे के सारे लोग रोड बनायेंगे सिविल कन्सट्रक्शन में करेंगे लगायेंगे उसको तो कौन सी रोड बनायेंगे भाई जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क में तो पुरी की पुरी रोड बनी हुई है पक्की और प्लांट के अंदर भी रोड बनी हुई है तो कौन सी रोड बनायेंगे कौन सी सिविल कन्स्ट्रक्शन करेंगे। इस बात का रेड्डी साहब जो फाईनल ई.आई.ए. बनायेंगे उसमें खुलासा करेंगे। जस्ट सजेशन नाट आप्जेक्शन क्यांकि वो सेन्ट्रल पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड की स्टडी जो है कहा था उन्होने लिखा कि जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क मोर युनिट्स ऑफ फेरो एलायज आर आपरेटिंग एण्ड स्लैग इस डंपिंग द ओपन एरिया, द एरिया इस टू प्रापर्ली डेवलप एण्ड फेसिंग एण्ड टू दि ईयर मार्क वो आज तक नहीं है।

ट्रैफिक समस्या सर इस एरिया में बहुत गंभीर है घरघोड़ा से लेकर रायगढ़ तक और खास करके पूंजीपथरा से लेकर रायगढ़ तक आये दिन एक्सिडेंट कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन एक्सिडेंट न होता हो और ज्यादातर एक्सिडेंट की वजह होती है हैवी वेहिकल्स क्योंकि रोड की कैपेसीटी उतनी है नहीं जितनी की व्हीकल्स उस पर चलते है इसी कारण ये एक्सिडेंट ज्यादा होते है। हमारे यहा खदाने है, बड़े–बड़े पॉवर प्लांट्स है, बड़े–बड़े स्टील प्लांट्स है लेकिन रोड की क्षमता इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना नहीं है तो उसके लिये भी कोई सुझाव जो है फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में। फोर लेन बना दे इसको वैसे जिंदल साहब बनाने वाले थे फोर लेन इसको लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बना पाये उनका कान्ट्रेक्ट कैंसिल हो गया अदरवाईस ये समस्या हल हो गई होती तो अंत में क्या कर सकते है हम क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मामला है रोज ये एक्सिडेंट हो रहे है लोग–बाग मर रहे है इस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। दूसरा जितनी भी इंडस्ट्रीज है मैं पर्टीकुल व्ही.ए. पॉवर के बारे में नहीं जनरल बात कर रहा हूँ जो कि रायगढ़ की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ना केवल जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क में जितनी भी 28 या 30 यूनिट है वो ग्राउंड वाटर ले रहे है इसले अलावा तराईमाल में जितनी इंडस्ट्री है एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं करती हो। एक बार कलेक्टर साहब ने टास्कफोर्स टीम बनाई थी और उन्होने अपनी रिपोर्ट भी दी थी कि 25 में से 24 इंडस्ट्री बिना परमिशन के ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रही है और भू–जल का स्तर रायगढ़ जिले में दिनो ब दिन गिरते चला जा रहा है ये गंभीर समस्या है तो इसका क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असिसमेंट होना चाहिए कि वास्तव में इस एरिया में पूंजीपथरा एरिया में कितनी इंडस्ट्रीज है उनकी रोजाना खपत कितनी है, तराईमाल एरिया में कितनी है उनकी रोजाना की खपत कितनी है और हमारा रिचार्ज कितना है और क्या हम ग्राउंड वाटर उनको एलाउ कर सकते है तो ये भी स्टडी का एक पार्ट होना चाहिए था क्यूमिनीटी इम्पेक्ट, वही चिज मैं सालिड वेस्ट के बारे में कहना चाहूंगा कि आपने अपनी इंडस्ट्री का बता दिया कि हमारे यहा करीब–करीब 70 से 80 हजार टन का जो है सालाना स्लैग पैदा होगा लेकिन बाकी इंडस्ट्री से भी स्लैग पैदा होगा वो कहा जायेगा और ये जो स्लैग है और ये जो फेरो क्रोम अभी बनाने जा रहे है और आलरेडी वहा फेरो क्रोम की इंडस्ट्री है भी दुर्भाग्य की बात है कि सर इसमें बहुत ही हेक्सावेलेंट क्रोम होता है इसका वेस्ट जो होता है और ये हानिकारक माना जाता है मगर कोई भी इंडस्ट्री है जो उसका टेस्ट नहीं करवाती ये जो रेगुलर बेसिस पे जब भी डिस्पोजल होना चाहिए और उसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए ये मीनिस्ट्री का गाईडलाईन है लेकिन नहीं हो रहा है। इनकी ई.आई.ए. में लिखा है कि यहा पे जितने भी नाले है इस एरिया में आप बोलते है कि इस एरिया में जितने भी नाला है तो बोलते है कि किसी नाला में पानी नहीं है तो छुइकांसा, गेरवानी, बंजारी ये सब नाला से तो उद्योगो को जल आबंटन हुआ है और वो लोग बोलते है कि हम लोग यही से पानी ले रहे है और जल संसाधन विभाग से एग्रीमेंट भी हुआ है तो ये कैसे नलवा, सिंघल कईयों का एग्रीमेंट है, गेरवानी से छुईकांसा, आप बोलते हो कि पानी नहीं है तो इन सब चीजों का मैने जो सवाल उठाये है और कुछ तो अति महत्वूपर्ण और एक अति महत्वपूर्ण जो लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि यही पे ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सीटी यही पें जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क में संचालित है जिसमें लगभग 2000 स्टूडेंट उसमें पढ़ते है सी.पी.सी.बी. की जो रिपोर्ट है वो उनके हॉस्टल में बहुत खराब बता रही है 2010 की जो मैने आपको कापी भी दी है तो इस बात पे भी बच्चो के जो इंजीनियर बनने आये है कोई कुछ बनने आया है तो क्या हम उनको इंजीनियर बनाने के बजाय टी.बी. का मरीज बना रहे है तो उसके लिये भी थोड़ा सा ई.

आई.ए. में सुधार की गुजाईस है जो इतनी बड़ी यूनीवर्सीटी जिंदल की उसपें भी थोड़ा विचार होना चाहिए बाकी तो ई.आई.ए. जैसे बनती है वैसे बनी है इतना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है भी नहीं मेरी जो सुझाव थे मैने केवल वो रखे। थैक्यू।

587. पावर्ती, उज्जवलपुर – समर्थन।
588. उर्वसी, गुप्ता उज्जवलपुर – समर्थन।
589. तारा बाई, उज्जवलपुर – समर्थन।
590. प्रतिमा, उज्जवलपुर – समर्थन।
591. ज्योति, उज्जवलपुर – समर्थन।
592. रजनी कसेर, उज्जवलपुर – समर्थन।
593. चंद्रिका – समर्थन।
594. धनमति, उज्जवलपुर – समर्थन।
595. फुलवती, उज्जवलपुर – समर्थन।
596. लक्ष्मी, उज्जवलपुर – समर्थन।
597. हिंजोरी, उज्जवलपुर – समर्थन।
598. लक्ष्मी कसेर, उज्जवलपुर – समर्थन।
599. पुर्णीमा, उज्जवलपुर – समर्थन।
600. मीना, उज्जवलपुर – समर्थन।
601. सुखमती, उज्जवलपुर – समर्थन।
602. श्यामती, उज्जवलपुर – समर्थन।
603. पंचराम, उज्जवलपुर – समर्थन।
604. संतोष कुमार बरेठ, उज्जवलपुर – समर्थन।
605. निलकुमार सिदार, उज्जवलपुर – समर्थन।
606. करमसिंह, तराईमाल – समर्थन।
607. चेतनलाल साहू, तराईमाल – समर्थन।
608. गेसदास महंत, तराईमाल – समर्थन।
609. राजेश गुप्ता, सराईपाली – व्ही.ए. प्लांट को मै तहेदिल से विरोध करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी से निकलने वाले जो डस्ट है वो सब तरफ फैले है जिससे लोगो को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो रही है, इसमें क्वार्टज का उपयोग होगा लगभग 8000 टन प्रतिवर्ष इससे सिलिकोसीस जैसी गंभीर बिमारी होगी, ये हमारे क्षेत्र में सराईपाली में सिलिकोसिस के पेशेंट निकल चुके है फिर भी इस कंपनी में क्वार्टज का उपयोग किया जायेगा जिसे सिलिकोसिस होने की संभावना बहुत अधिक बड़ जायेगी और इससे इस क्षेत्र के लोगो को खास तौर पर उस क्षेत्र में जो काम करेंगे उन लोगो को बहुत सारी परेशानियां होगी बीमारी होगी जिसका उपचार न तो कंपनी करती है, न तो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। आज तक सराईपाली में लगभग 11 लोगों को सिलिकोसिस पाजिटीव पाया गया है जिनको सिर्फ 03–03 लाख मुआवजा तो दिया गया है लेकिन उनके पुनर्वास की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर इस प्रकार इसी कंपनी में भी अगर इस प्रकार का बीमारी होता है तो इसमें भी इनकी क्या जवाबदारी बनती है क्या ये इस

जवाबदारी को निभायेंगे यह एक सवाल उत्पन्न होता है क्योंकि आज तक कोई भी कंपनी किसी भी मरीज को इलाज के लिये कुछ नहीं देता ई.एस.आई. काटता है लेकिन ई.एस.आई. का उपयोग नहीं मिलता है ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इन सभी समस्याओं को लेकर मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

610. जयंत बहिदार, रायगढ़ – मै पर्यावरण अधिकारी साहब से यह आशा करता हूँ कि वो हमारे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आदरणीय दीवान साहब को पर्यावरणीय जनसुनवाई के संबंध में जानकारी दिये होंगे और आदरणीय दीवान साहब से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पर्यावरणीय लोकसुनवाई को लेकर के जो प्रावधान है जो इआई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के नाम से जाना जाता है उसको जरूर देखा होगा। मैं पूरे सम्मान के साथ दीवान साहब से पुंछना चाहता हूँ क्या दीवान साहब ने ये अध्ययन कर लिया है कि जनसुनवाई कहा पर होनी चाहिए, परियोजना स्थल उसके निकट होनी चाहिए कि दूर होनी चाहिए, जनसुनवाई कितने दिन में होनी चाहिए और जनसुनवाई कराने के लिये जो प्रावधान है क्या वह प्रावधान हमारे जिले में हो रहा है। इन तमाम बातों को दिवान साहब अच्छे से समझ गये होंगे और उस हिसाब से अपनी कार्यवाही करेंगे मैं अपेक्षा करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी यही कहा है ये जो गेरवानी, बंजारी और पूंजीपथरा का जो क्षेत्र है वो रायगढ़ जिले का सबसे प्रदूषित इलाका है। क्या यहा किसी औद्योगिक कंपनी का विस्तार हो या उसकी स्थापना हो क्या नये कंपनियो का होनी चाहिए, क्या इसका अध्ययन कराया है। यहा के लोगो का जीवन स्तर कैसा है, यहा का जंगल कैसा है, इस बात का भी अध्ययन कराया है क्या, इस तरफ के जंगल पुरे कट गये रायगढ़ जिले में पहले हाथी इसलिये नहीं आ पाते थे, क्योंकि रायगढ़ जिले का जंगल खना था बांस के पौधे होते थे हाथी उसको क्रास करके नहीं आ सकते थे। आज जंगल लगभग उजड़ गया है और ये जो क्षेत्र है ये हाथियों के विचरने का आवास है, निवास का क्षेत्र है और केवल पूंजीपथरा इण्डस्ट्रीयल पार्क में ही कंपनी की जनसुनवाई हो रही है। 10 किलोमीटर का अध्ययन क्षेत्र होता है जो प्रभावित क्षेत्र होता है उस 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में वन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जंगली जानवरों का क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगो पर ये सब अध्ययन कराया नहीं गया है। इसलिये हम कोई भी परियोजना का इस क्षेत्र में विरोध करते है। हम अपना आपत्ति दर्ज कराते है कि परियोजनाओं को न विस्तार करने की अनुमति न दिया जाये न ही परियोजनओं की भी स्थापना हो, ये हमारी आपत्ति है। क्या आपने सम्मानीय पीठासीन अधिकारी क्या आपने इसकी जॉच की है, क्या कंपनी का फर्नेस ठीक से चल रहा है। फर्नेस से जो प्रदूषण जो डस्ट निकलता है उसको रोकने के लिये बैग फिल्टर लगा है, बैग फिल्टर लगा है तो बैग फिल्टर को चालू किया गया है। इन सब का जॉच आपने किया है क्या? नहीं किया है आप बोलेंगे पर्यावरण विभाग किया है। फिर आपको बैठने की क्या जरूरत है। जब पर्यावरण विभाग ही उद्योग प्रबंधन के मालिक से मिलकर जलसुवाई करा लेता। आपको इसलिये बैठाया गया है, आप इसलिये प्रभावी भूमिका में है कि अगर पर्यावरण विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और उद्योग संचालक अगर ठीक से इ.आई.ए. नहीं बनाया है तो आप उसका जॉच करके उसका सुधार कर सकते है। और अगर गलती गंभीर हो तो उस प्रक्रिया को रोक सकते है, जो पर्यावरण स्वीकृति मिलता है। तो हमारा तो यही कहना है कि आप से ये जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया में जो लोकसुनवाई हो रही है इसको यही स्थगित करें। हमारी यहीं मांग है हमने यही लिख कर दिया है आपको। क्योंकि ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 का भी पालन नहीं हो रहा है, उसको लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव महोदय का 21 दिसम्बर 2006 का आर्डर भी है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन

प्रावधानों को पालन होना चाहिए एक–एक बिन्दुओं का निर्देशो का पालन होना चाहिए वो भी नहीं पालन होता है वो भी हमने दिया है आपको कागज में प्रदूषण के बारे में राजेश त्रिपाठी भैया जी ने बता दिया है फिर आप कहेंगे हमारे पर्यावरण अधिकारी कहते है कि पर्यावरण के बारे में जो चिंता है उसी के लिये तो हम जनसुनवाई करा रहे है मेरा ज्यादा दबाव, ज्यादा जोर प्रमुखता से यह रहता है कि पर्यावरण लोकसुनवाई प्रावधानों के तहत् हो रहा है कि नहीं। उस पर मेरा जोर रहता है। तो प्रावधानों का पालन होना चाहिए जनसुनवाई कराने के पहले आप अभी पहली जनसुनवाई हमारे जिले में आदरणीय दीवान साहब अब अगर जनसुनवाई हो, हम तो चाहते है कि जनसुनवाई और न हो किसी भी परियोजना का स्थापना और विस्तार न हो हमारे रायगढ़ जिले में अगर होता है तो आप इस बात पे जरूर जॉच करायेंगे कि उस ई.आई.ए. रिपोर्ट में जो उन्होने ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिया है क्या वो सही है उसमें गलतियां है तो सुधारे क्या प्रावधानों का पालन हो रहा है, बंजारी मंदिन में जनसुनवाई कराने का क्या औचित्य 03 किलोमीटर दूर है ये प्लांट ये जो है उसी गांव में हो सकता है, पूंजीपथरा में हो सकता है प्लांट के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके मैदान में हो सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज से क्या एन.ओ.सी. लिया है विस्तार के लिये पूंजीपथरा इण्डस्ट्रीयल पार्क जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, जे.एस.पी.एल. चलाता है क्या जे.एस.पी.एल. से एन.ओ.सी. मिला है, मिला होगा तो देखना चाहिए न उसको उसकी जॉच कराये अगर नहीं मिला है तो पहले एन.ओ.सी. ले फिर जनसुनवाई हो फिर इनवायरमेंट का जो प्रक्रिया है वो चालु हो हमे बताया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट दिया है उसमें वर्ष तो लिखा है आपके डाफ्ट ई.आई.ए. में परन्तु उसमें दिनांक और हस्ताक्षर नहीं है तो ये सब प्रक्रिया है सर आपसे प्रार्थना है रिक्वेस्ट है सर कि अबसे जब भी हो तो इस तरह की तमाम चीजों का नाप कर ले पर्यावरण विभाग से उम्मीद नहीं है सर। आपसे है कलेक्टर साहब से है, एस.पी. साहब से है, एस.पी. साहब को भी हम एक कापी देंगे कि जहा कानुनी पहलु है थोड़ा आप भी कार्यवाही करे करके। बाकी पर्यावरण का जो नुकसान हमारे जिले में हो रहा है वो ना हो। पर्यावरण सुधार के लिये प्रदूषण पर रोक लगे, ये पूरे जिले में राख और फ्लाई ऐश बिछाये जा रहे है जहा–तहा खेतो में डाल रहे है, नाले में डाल रहे है, नदी में डाल रहे है अंततः वो पानी में आ रहा है। जमीन का हमारे जिले में भूमि प्रदूषण इतना ज्यादा भूमि का जो उर्वरा शक्ति नष्ट होता जा रहा है। यहा केवल धान उत्पादन करिये बस पानी के साथ और कुछ नहीं होने वाला है आगे जाके। तो ये तमाम चीजों को अगर जिला प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में रायगढ़ जिला विकट स्थिति में होगा। यदि आप देखेंगे केलो बांध केलो बांध को भी उद्योगो को सुविधा देने के लिये छोटा कर दिया गया है उसकी क्षमता को इससे बड़ा–बड़ा तो तालाब होता है गांव में अभी आप देखीयेगा कैसा दिख रहा है बांध इससे क्या सिंचाई होगा, हमारी सरकार दावा करती है कि 22 हजार हेक्टेयर में हम खरीफ फसल में सिंचाई करेंगे और रबी में 04 हजार हेक्टेयर में कहा से होगा ये बांध में कहा पानी है इतना और फिर उद्योग पानी खीच के ले जा रहा है जैसे हमारे रमेश भैया बता रहे थे अण्डर ग्राउण्ड वाटर बिना अनुमति के ले रहे है अगर एक किसान अभी अनुमति मांगेगा तो आप ही नहीं देगे। अभी आपके अंदर तहसीलदार होते है, एस. डी.एम. होते है हमारे यहा भी डेड़ एकड़ जमीन है सर उसमें दिला दीजिये हम भी ट्यूबवेल लगाकर खेती करेंगे मगर आप नहीं देंगे इतना जल्दी नहीं होगा। उद्योग वाले तो खीच के ले जा रहे है पानी सरकारी कंपनी एन.टी.पी.सी. भी ले जा रहा है महानदी से बिना अनुमति के पानी ये सब जॉच होना चाहिए और अनुमति तो मिलेगा हम ये नहीं बोलते की नहीं मिलेगा मगर फैक्ट्री से पैसा आयेगा सरकार के पास, जिले

में खर्चा होगा तो ये सब जिले का विकास होगा। मेरे कहने का मतलब है कि उद्योगपति जो चोरी करते है पानी का चोरी कर रहे है, कोयला का चोरी कर रहे है जंगल की चोरी कर रहे है, लकड़ी चोरी कर रहे है अगर आप उस पर अंकुश लगायेंगे तो तो राजस्व बड़ेगा सरकार का, राजस्व बड़ेगा तो हमारे हिस्से में भी कुछ आयेगा हमारे घर तक आयेगा विकास, अभी तो विकास खोजना पड़ेगा तो अगर किसी फैक्ट्री का जनसुनवाई होता है तो बात केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है आप ई.आई.ए. देखिये उसमें सामाजिक बात है कितने लोगो को नौकरी दिये है ये पूंजीपथरा इण्डस्ट्रीयल पार्क वाले 30–35 फैक्ट्रीयां है कितने लोगों को नौकरी दिया है आप पता लगाइये। हो सकता है डॉक्टर साहब ने लोकल लोगो को दिया होगा गांव वालों को कितने लोगो को दिया है नौकरी इन कंपनियों ने 30–35 फैक्ट्री है अगर 02 फैक्ट्री भी मिलके अगर पूंजीपथरा और तुमीडीह और सामारूमा और तराईमाल यहॉ के लोगो को नौकरी अगर देते तो एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहता इस गांव में नहीं देते है स्थानीय लोगो को तो हमारी जो चिंता है, हमारी पीड़ा है वो स्थानिय परेसानीय स्थानिय वातावरण है उसको लेकर के है यहा के लोगो को नौकरी नहीं मिलता और फैक्ट्री यहा खुलते जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है तो ये चिंता हमारे अधिकारी आप है, कानुन संविधान में आपको अधिकार दिया है आपलोग नहीं करायेंगे तो हमको मिलेगा कैसे, हा ये बात है हमारी कि हमारे जिले का जो राजनीति है विधायक, सांसद इन प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं देते है वो हम प्रयास कर रहे है उसको अगर विधायक सांसद करते तो हमको आने की क्या जरूरत है आप जॉच करिये सर आप बड़े अधिकारी है रायगढ़ जिले के, आप जॉच करिये फैक्ट्रियों में जाइये अब करिये उनको पूछिये जानकारी लीजिये भौतिक जानकारी तो निरीक्षण तो करिये मगर उनसे लीजिये पेपर कितने लोगो को नौकरी दिया है और नौकरी करने वाले कहा के है वो जॉच कर लीजिये अगर लोकल 2–4 होंगे भी तो किसी के सिफारिस से लगा होगा। आम आदमी नहीं कर सकता यहा के जिलो में नौकरी, क्यों उसकी सिफारिस नहीं है वो नहीं मिलेगा उसको नौकरी तो ये जो फैक्ट्रियों का रणनिति है इसको तोड़ना चाहिए जिला प्रशासन को जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रायगढ़ जिले के लोगो को भी काम मिले उद्योगों में। अच्छा ये बता दीजिए सर इतना बड़ ये पूंजीपथरा में इण्डस्ट्रीयल पार्क है 30–32 फैक्ट्री है यहॉ अस्पताल तक नहीं है, है क्या बता दीजिए हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, फिर ये जिंदल को कैसे अधिकार मिल गया इण्डस्ट्रीयल पार्क में कब्जा करने का, सरकार ने जिंदल को लीज में दे दिया और जिंदल सबको बाट रहा है जिंदल कहा से मालिक हो गया हमारा यह आपत्ति है, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार के अंडर में आना चाहिए और जो फैक्ट्रियां है वो लोग स्वतंत्र होना चाहिए उन लोगो ने जब खरीदा है तो, जिंदल उद्योग बिजली क्यों दे, जिंदल उद्योग क्यों बिजली देता है इण्डस्ट्रीयल पार्क के यूनिट को सरकार बिजली देना चाहिए आज जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क में जो 30–35 फैक्ट्रियां है सब जिंदल की गुलामी क्यों करें, आजाद स्वतंत्र होना चाहिए बिजली ठीक से नहीं देता इसलिये वो लोग बैग फिल्टर नहीं चलाते हमारा ये आरोप है जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड जिसको सरकार ने इण्डस्ट्रीयल पार्क में बिजली सप्लाई करने का जो अधिकार दिया है वो पर्याप्त बिजली नहीं देता इसके कारण बैग फिल्टर नहीं चल रहे है और उसेक कारण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण के मुद्दो पर जिला प्रशासन को चिंता करना चाहिए और निष्पक्ष हो कर के पारदर्शी कार्यवाही करनी चाहिए और तब फिर किसी परियोजना की स्थापना पहले पर्यावरण का अध्ययन करना चाहिए तब फिर विस्तार की अनुमति देनी

चाहिए। मैं अभी इस कंपनी को विस्तार क्षमता विस्तार की अनुमति देने के खिलाफ में हूॅ इसपर मैं अपना आपत्ति दर्ज कराता हूॅ। धन्यवाद।

611. शुभम दुबे, तमनार – मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूॅ बाकी जो पर्यावरण के मुद्दे पर बात की थी सर उसपे थोड़ा ध्यान दे।

612. धनपत सिंह चौहान, तराईमाल – समर्थन है।

613. मुरलीधर चौहान – समर्थन है।

614. सत्यनारायण, तराईमाल – समर्थन है।

615. गुरूचरण, तराईमाल – समर्थन है।

616. रोशन – समर्थन है।

617. चमार सिंह उरांव, तराईमाल – समर्थन है।

618. मन्नु – समर्थन है।

619. राधेश्याम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, रायगढ़ – आज दिनांक को मेसर्स व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विस्तार की जन सुनवाई का ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे लोकतंत्र में संविधान में पर्यावरण संतुलन के लिये विशेष अनुबंध अनुक्षेद रखा गया है क्योंकि मानवीय जीवन के साथ साथ पर्यावरण संतुलन के लिये सभी वनस्पति, जीवो के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर संवैधानिक स्तर पर अनुच्छेद को रखा गया है। अलग–अलग राज्यों में जन सुनवाई होती है दूसरे राज्यों में भी देखने का अवसर मिलता है जाने का लेकिन छत्तीसगढ़ में जो जनसुनवाई की परम्परा चल निकली है वह एक विधि विरूद्ध परम्परा कही जानी चाहिए। जैसे राजनीतिक दल वोटिंग दिवस के दिन अपने पक्ष में वोट को प्रभावित करने के लिये जिन हथकंडो का उपयोग करते है उसी प्रकार औद्योगिक प्रतिष्ठान जनसुनवाई में भी अपने पक्ष में अभिमत प्राप्त करने के लिये सारे हथकंडो का उपयोग करती है। अब जनसुनवाई की प्रक्रिया को देखकर नहीं लगता की ये कानुन सम्मत जनसुनवाई है एक पिकनीक स्पाट में जितनी सुविधाये प्राप्त होती है वो जनसुनवाई स्थल में देखने को मिलत है। वो व्यक्तिगत इसी प्लांट के जनसुनवाई की नहीं है एक परम्परा सी चल निकली है और इस पर जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी मौन रहते है उस पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। जनसुनवाई स्थल पर भोजन का स्टॉल लगा हुआ है, शासन के तरफ से जो कर्मचारी आये है पुलिस के जो बल है उनको शासन कैसा मुवैया करवाती है यह अलग चीज है लेकिन सार्वजनिक तौर पर प्रत्येक आदमियों को भोजन क्या प्रशासन उपलब्ध करवाती है, इसकी जानकारी मैं लिया तो इस भोजन की व्यवस्था और यहा तक लाने की व्यवस्था तो उद्योग का होता है। पर्यावरण मंत्रालय को मेरा ये सुझाव है की जनसुनवाई स्थल के बाहर भी विडियोग्राफी होनी चाहिए की जो व्यक्ति आ रहे है वो स्वस्फुर्त यहा आकर के अपना अभिमत दर्ज कर रहे है की नहीं कर रहे है या उन्हे किसी वाहन के साधन से लाया जा रहा है। क्योंकि अभी मैं मेरे आगे में जो हमारे नवयुवक साथी थे उन्होने इस जनसुनवाई का समर्थन किया। जनसुनवाई को समर्थन करने का या आपत्ति विरोध दर्ज करने का कोई निजी कारण होना चाहिए और उतना व्यक्ति का दिमाग विकसीत होना चाहिए कि उसे समझ सके कि इससे क्या नुकसान है और क्या फायदा है। पर्यावरण मंत्रालय को जो ये जनसुनवाई की प्रक्रिया सम्पूर्ण रूप से प्रेषित की जाती है उसमें जो सिर्फ टिप्पणी मात्र रहता है की इसका विरोध है या समर्थन है, अगर उसके कारणों को दर्शाया नहीं जाता है तो उन्हे अवैध घोषित करना चाहिए उसे प्रक्रिया में जोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसका कारण

ही उस व्यक्ति को पता नहीं है कि उसे क्या फायदा है और क्या नुकसान। इस तरह परिपक्य व्यक्ति जो जानता समझता हो कि पर्यावरण नियमों का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है इस स्थिति में जिसकी मानसिक अवस्था है जो मेच्योर है कहिये उनकी सहमती वो भी तर्क संगत सहमतियों को जनसुनवाई की प्रक्रिया में वैध माना जाना चाहिए बाकी सिर्फ मेरी सहमती है या विरोध है ऐसे जो भी अभिमत आ रहे है उन्हे अवैध घोषित कर देना चाहिए। जनसुनवाई के लिये निरंतर सुधार की आवश्यकता है जिला मुख्यालय में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जिला पर्यावरण विभाग है और नोटिफिकेशन के माध्यम से या जिन–जिन माध्यम से जो नियमों में प्रावधानों में प्रावधानित है उन माध्यमों से उस क्षेत्र की जनता को, उस प्रदेश की जनता को जागरूक करने का जवाबदेही भी पर्यावरण विभाग को है जिला प्रशासन को है जो नहीं किया जाता जिससे पर्यावरण से संबंधित जनसुनवाई का उद्देश्य निरर्थक सिद्ध हो रहा है। जो कंपनियां ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करती है वो टेबल में बैठ करके आंकड़े सब इकट्ठा कर लेती है क्या रायगढ़ जिले में विगत वर्षो की अपेक्षा वर्तमान सत्र में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई ये आंकड़ा तो प्रशासन के पास है वो एशोसियेट कंपनी उन आंकड़ो को क्यों प्राप्त नहीं करती स्वास्थ्य अमले के पास में कितने मरीजो की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य के मरीज, दमा के मरीज, केंसर के मरीज उन आंकड़ो को क्यों दर्शाया नहीं जाता है। एशोसियेट का जो ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वह असंवैधानिक है उस पर पूर्णरूप से विराम लगनी चाहिए, और ई.आई.ए. रिपोर्ट को शासन की जवाबदेही होनी चाहिए कि किसी भी कंपनी के विस्तार के लिये या नये स्थापना के लिये ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें स्थानीय प्रशासन, राज्य शासन अपने आंकड़े उपलब्ध करवाती हर संबंधित जानकारी के हिसाब से कि ग्राउंड वाटर लेबल कितना नीचे गया है, कितनी उद्योगे है, उनमें कितना पानी का दोहन हो रहा है। वर्तमान स्थिति में हर वर्ष औद्योगिक क्षेत्रों में जल, वायु, मिट्टी और अन्य प्रकार के जो प्रदूषण है उसमें उत्तरोत्तर कितनी वृद्धि हुई है उसके आंकड़े क्या है ये सर्वे प्रतिवर्ष औद्योगिक क्षेत्र में होनी चाहिए और उन आंकड़ो के आधार पर ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाया जाना चाहिए मेसर्स व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा जो राज्य सरकार को आवेदन किया गया था उस आवेदन के समय–सीमा पर जनसुनवाई नहीं हो पाना नियमों की अवहेलना है और मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय से निवेदन है कि जो प्रावधान प्रावधानित है अधिसूचना में 2006 के अंतर्गत जो जनसुनवाई के लिये नियम बने हुये है उस नियमों के तहत् अगर जनसुनवाई नहीं हो रही है और जनसुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो उस पर जवाबदेही किसकी बनती है। इस कंपनी का ई.आई.ए. रिपोर्ट की समरी ही हिन्दी भाषा में है मैं खुद अंग्रेजी पढ़ा–लिखा नहीं हूँ मैं ई.आई.ए. रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता तो मैं आपत्ति और सहमति कैसे दर्ज कर पाउंगा, तो जनसुनवाई का जो उद्देश्य है उस क्षेत्र में उद्योगो के बड़ने से उसके विस्तार से क्या–क्या लाभ और हानि हो रहे है इसकी समझ आम जनता को नहीं होगी तो जनसुनवाई का उद्देश्य जो है वो विफल है और अब तक एक परम्परा सी बन गई है चुनाव में जो प्रक्रिया का पालन होता है कि गाड़ी में लाओ, मत डलवाओ, पैसा दो, खाना खिलाओं यहा भी भोजन का स्टॉल लगा हुआ है। मैं मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि जो विडियोग्राफी हो रही है वो आस–पास के क्षेत्रों का हो जिससे जायजा लग सके कि यहा जो अभिमत दर्ज करने वाले लोग आये है उनको प्रभावित करने का इस कंपनी ने प्रयास किया है और वो मान्नीय पीठासीन अधिकारी के जानकारी में अगर है तो उस पर अलग से कार्यवाही संस्थित होना चाहिए। इस प्लांट के शुरूवाती दौर में और अब तक पर्यावरण विभाग ने जितने भी निरीक्षण किये है कुल निरीक्षणों

की कापी मेरे पास में है और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो बिना दण्ड मिले उस कंपनी को विस्तार के लिये जनसुनवाई की प्रक्रिया को प्रारंभ करना उस कंपनी को प्रशासन द्वारा उत्तरीत करना है। पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण कानून को उतना मजबुत नहीं बना पा रही है मैं इस जनसुनवाई के माध्यम से क्योंकि हम किसी को जान से मारने का प्रयास करते है तो धाराये लगती है 307, और कोई मर जाता है तो 302 लगता है, हत्या का अपराध और ये इस क्षेत्र की कंपनियां या प्रदेश में या देश में ये कंपनियां पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और आम आदमी मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे है तो पर्यावरण विभाग क्यों शिथिल नियम बनाया हुआ है कि ऐसे उद्योगो के ऊपर 307, 302 के अपराध क्यों दर्ज नहीं हो रहे है पर्यावरण कानून जब तक मजबुत नहीं होगा पर्यावरण संतुलन की दिशा में कही भी उम्मीद किया जाना ये संतुलित होगा एक कोई कल्पना है और विभाग की अपनी व्यवस्था हमारे अधिकारीगण बताते है कि हम सिर्फ निरीक्षण में निरीक्षण टीप लिखकर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते है ये बड़ी विडम्बना है कि जब भी कानून का उल्लंघन होता है तो जिस कानून का उल्लंघन होता है उसके लिये एफ.आई.आर. होना चाहिए प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराधिक प्रकरण थाने में दर्ज होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी हो ठीक है पर्यावरण विभाग नियमों में कड़ाई नहीं कर रही है लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा अधिकार और लिखित में लेने की जरूरत है कि एक ही ठो प्रक्रिया हो की कोई कंपनी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही है तो उसका एक रिपोर्ट आप प्रस्तुत करें और न्यायालय में परिवाद दायर करें, हमारे सक्षम अधिकारी पर्यावरण विभाग के उनकी अंतर्भूत जो शक्तियां जो है उसके तहत वो अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कर सकते है जो अब तक नहीं किया जाता है। जिले में जो कार्यालय खुला हुआ है उस कार्यालय में सहमति, आपत्ति के लिये एक समुचित व्यवस्था पर्यावरण मंत्रालय को करनी चाहिए ताकि ये अनावश्यक खर्च और प्रशासनिक अमला का दुरूपयोग जो हो रहा है उस पर रोक लगे पुरे जिले में हम सही ढंग से नहीं जान पा रहे है कि किस दिवस में कौन सी जनसुनवाई होनी है और उससे क्या लाभ, क्या हानि होना है इन परिस्थितियों में पर्यावरण विभाग स्थानिय प्रशासन जो नियमों के अंतर्गत प्रचार–प्रसार का जिम्मेदारी उनके ऊपर है उसको भी कर पाने में वो विफल है मैं इस कंपनी का पूर्णरूप से विरोध करता हूॅ। यह पर्यावरण नियमों के विरूद्ध की जाने वाली जनसुनवाई है। इसको तत्काल यही पर निरस्त किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में आम नागरीको का जिला प्रशासन के ऊपर में विश्वास बन सके, क्योंकि अब तक पीठासीन अधिकारी महोदय जो जवाबदेही होती है वो सिर्फ जनसुनवाई करवाने तक। मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय दो पदो पर आसीन है एक न्यायिक पद, एक प्रशासनिक पद और दोनो की अंतरभूत शक्तियां जिला स्तर के भौगोलिक परिक्षेत्र में अनंत है और बहुत शक्तिशाली है लेकिन अभी तक मेरे जीवन के इतिहास में किसी भी पीठासीन अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया ये सबसे बहुत ही दूखदायी स्थिति है और ना ही पर्यावरण अधिकारी ने क्या कंपनियों की जनसुनवाई में सिर्फ आम नागरिकों को ही अपना अभिमत दर्ज कराने का अधिकार है या ऐसा प्रावधान है बाकी नागरिक, नागरिक नहीं है पर्यावरण मंत्रालय को उस क्षेत्र के, उस जिले के जो प्रभावित क्षेत्र है वहा के शतप्रतिशत लोगो की अभिमत लेने की जवाबदेही होनी चाहिए ये पर्यावरण मंत्रालय को निर्धारित करना चाहिए कि शतप्रतिशत जो व्यस्क लोग है उसका अभिमत प्राप्त हो और उन्हे उस परियोजना से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध हो जो अब तक नहीं हो पा रहा है। प्रावधानों में संशोधन के पश्चात क्षेत्रीय भाषाओं में अब ये हिन्दी भाषी प्रदेश है तो यहा हिन्दी में सम्पुर्ण ई.आई.ए. रिपोर्ट की कापी बननी चाहिए थी

ऐशोसियेट कंपनी को बनानी चाहिए थी जो नहीं बनाया जो कानून का उल्लंघन है, पर्यावरणीय जनसुनवाई का उल्लंघन है और इस आधार पर कि आम नागरिकों को सही तथ्यों की जानकारी सिर्फ भाषा के चलते नहीं हो पाई ई.आई.ए. रिपोर्ट में उस क्षेत्रीय भाषा में नहीं बन पाने के कारण नहीं हो पाई इस लिये यह जनसुनवाई पूर्ण रूप से असंवैधानिक है अवैध है और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है। जनसुनवाई के पश्चात यहा उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी जैसे पुलिस विभाग के है या अन्य विभागों से है उनकी भी इसमें आवश्यक रूप से सहमति, आपत्ति जो भी अपनी मत है वो दर्ज की जानी चाहिए उसमें स्वयं पीठासीन अधिकारी महोदय की भी अभिमत दर्ज किया जाना चाहिए अगर नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन जानबुझकर किया जा रहा है उन प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है पुरे प्रदेश और देश में एक परम्परा सी जो चल निकली है जनसुनवाई की एक तंबु पंडाल लगवाओं, खाने की व्यवस्था करों, गांव–गांव में प्रभावित करने के लिये सुविधाये दो, आश्वासन दो क्या उस संबंधित उद्योग जिसमें जमीन गई है या संबंधित पंचायत जो प्रभावित हो रहे है वहा उस कंपनी के द्वारा क्या–क्या किया गया है क्या जमीन ली गई तो जमीन मालिकों को सम्पूर्ण आवास नीति के तहत् उसका लाभ मिल पाया है या नहीं मिल पाया है यह भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए, जो एशोसियेट कंपनियां संविधान में वर्णित अधिसूचित क्षेत्र पॉचवी और छठवी अनुसूची का जो अनुच्छेद है यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में शासन, प्रशासन को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसका सम्पूर्ण नेत्रत्व या जिम्मेदारी मान्नीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के अधिकार क्षेत्र में है लेकिन जनसुनवाई और उद्योग स्थापना के लिये अधिसूचित क्षेत्रों में जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सर्वप्रथम उद्योग स्थापना के 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी ग्रामपंचात है उसकी ग्रामसभा में सहमति, और उस सहमति के आधार पर राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय से उसका अनुमोदन होकर के उसमें अनुमति होना अनिवार्य है अन्यथा संविधान में जो अनुच्छेद उल्लेखित किये गये है पॉचवी, छठवी उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका जब परिपालन ही नहीं होना है तो संविधान में उल्लेख करके क्या लोगो को भ्रमित किया जा रहा है या पर्यावरणीय जनसुनवाई के नाम से सीधे–सीधे जिला प्रशासन राज्य शासन के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो इस प्रक्रिया में जो भी प्रावधानों में त्रुटी जानबुझकर के हो रही है क्योंकि मैं यह नहीं कह सकता की मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय जिस कुर्सी पर है उन्हे प्रावधान मालूम नहीं है। मैं मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय से एक नागरिक होने से सादर अपेक्षा रखता हूॅ अगर पर्यावरण जनसुनवाई के जो प्रावधान है सम्पूर्ण प्रावधान का अगर अध्ययन उनके द्वारा नहीं हुआ है तो वो अध्ययन कर लें उसके पश्चात ही अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य शासन को प्रेषित करें। ये मैं सादर आग्रह करूंगा और मेरी सादर अपेक्षा है कि वो अपने जवाबदेही का निर्वहन उन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत उसको ध्यान में रख कर करें, जिसके अंतर्गत जनसुनवाई की प्रक्रिया के लिये अधिनियम 2006 बनाया गया है उसके पश्चात जितने भी संशोधित अधिनियम है प्रावधान जो संशोधित हुये है उनका किन–किन बिन्दुओं पर परिपालन हुआ है और अगर नहीं हुआ है और एशोसियेट कंपनी जानबुझकर नियमों का पालन नहीं की है कंपनी का जो निर्देशक मंण्डल है उसके द्वारा अगर प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें अपराधिक प्रकरण मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय को दर्ज करानी चाहिए और अगर नहीं कराया जाता है क्योंकि जितने नियम बने हुये है उन नियमों का 75 फीसिदी परिपालन नहीं हो पा रहा है ये मेरे जैसा कम पढ़ा–लिखा आदमी देख रहा है ये इसी जनसुनवाई की बात नहीं है ये परम्परा सी चल निकली

है कि जनसुनवाई करानी है। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जिसकी जानकारी हमको प्रशासनिक वर्ग से मिलती है कि जनसुनवाई स्थगित कर दिया गया है अभी हम लोग जानकारी लेते है और जानबुझके नियमों की अनदेखी की जा रही है तो मैं पुनः पीठासीन अधिकारी महोदय से ये निवेदन करूंगा कि स्वयं अपने स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े मंगवाये कि निरंत पॉच वर्षो में इस जिले में और इस क्षेत्र में किन–किन बीमारियों में कितनी बढ़ोतरी हुई है उनके आंकड़े जिला प्रशासन के पास में है। इस क्षेत्र का जलस्तर कितना गिरा है उसके भी आंकड़े को अपने अंतिम रिपोर्ट जिसे प्रेषित किया जाता है राज्य सरकार को, पर्यावरण मंत्रालय को उसमें दर्ज करें। होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु और विकलांग लोगो की भी जनसंख्या को दर्ज मान्नीय पीठासीन महोदय करें। मेसर्स व्ही.ए. पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड की जनसुनवाई के लिये भाई रमेश अग्रवाल ने एक बिन्दु को रखी थी कि इसका मूल्यांकन के लिये जो–जो प्वाईंट दर्शाया गया वो एक है तो वो एक ही कंपनी के द्वारा 02 कंपनियों के लिये ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करना या 03 ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करना एडवांस में होने वाले अग्रिम जनुसनवाई के लिये भी ऐसे आंकड़े तैयार किये जा रहे है और उस पर आपत्ति आ रही है तो निश्चित रूप से ई.आई.ए. में जो आंकड़े दर्ज है क्योंकि अपन तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते और जनसुनवाई में यह संशोधित अधिनियम आया है कि उस क्षेत्रीय भाषा में वहा का ई.आई.ए. रिपोर्ट होना चाहिए आज के इस जनसुनवाई में सम्पूर्ण ई.आई.ए. रिपोर्ट हिन्दी में नहीं होने के कारण हमारी जो आपत्तियां या सहमति है वो निर्रथक है और आज की इस जनसुनवाई में जितने लोगो ने जो अंग्रेजी पढ़ा है वो ठीक है ज्ञाता है उन्होने दर्ज किया है अच्छी बात है लेकिन बाकी जिन लोगो ने दर्ज किया है अपनी सहमति और आपत्ति वो जानकारी के अभाव में किया है और अगर जानकारी के अभाव में ये सब चीज हो रहा है और प्रावधान संशोधित होने के बाद भी उसका परिपालन नहीं हो रहा है और जनसुनवाई की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा, राज्य शासन द्वारा, या राजनीतिक दबाव में इस ढंग से हो रहा है तो वह कानून को धता बताना है उसका मजाक उड़ाना है और अधिनियमों की अनदेखी, तो महत्वपूर्ण जनसुनवाई स्थल के सम्पूर्ण परिक्षेत्र की विडियोग्राफी शुरू से लेकर आखरी तक होनी चाहिए ये मेरो सुझाव पर्यावरण मंत्रालय के लिये है के किन–किन वाहनों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ रहे है और वाहनों के मालिक कौन है। उन वाहनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि वाहन किसके है और किसके द्वारा लाया जा रहा है और ग्रामीणों के भी अभिमत शासन के द्वारा लिया जाना चाहिए क्यां आप किस वाहन से आ रहे है तो इस वाहन को किसने उपलब्ध करवाया है आपको हमारे देख में चुनाव प्रक्रिया की स्थिति जो बनी हुई है और निर्वाचन आयोग की जो स्थिति है निर्वाचन आयोग जिस तरह से शुन्य है वैसी पर्यावरण मंत्रालय की भी शुन्यता स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रावधान, नियम सिर्फ समाचार पत्रों में मिडिया में प्रचारित करने के लिये बताया जा रहा है कि देश में ये कानून है, ये संविधान है जबकी संविधान का पालन कही किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा या चुने हुये जनसेवक के द्वारा नहीं किया जा रहा है नागरिक जिसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है हो रहा है कि वो इस देश का लोकतंत्र का प्रमुख हिस्सा है वो सेवको के सामने करना पढ़ रहा है बार–बार बताना पड़ रहा है कि किन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद अगर जनसुनवाई चल रही है तो स्थानिय प्रशासन कि उसमें उस कानून के उल्लंघन में महत्वपूर्ण भुमिका है और अभी तक रायगढ़ जिले में या छत्तीसगढ़ में या पुरे देश में ऐसा कोई इतिहास अभी तक नहीं बन पाया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय ने गंभीतरा पूर्वक जनसुनवाई के नियमों का अवलोकन किया हो और अगर उन बिन्दुओं पर उन नियमों पर

जनुसनवाई नहीं हो रही है तो उसको निरस्त किया गया मैं एक नागरीक होने के नाते मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय से जानना चाहुंगा कि इस जनसुनवाई से पूर्व उनके द्वारा और जनसुनवाई करवाई जा चुकी है या सम्पूर्ण जनसुनवाई के नियमों का उनको ज्ञान है इस पर मैं मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय का अभिमत चाहुंगा क्योंकि यह भी मेरे को जानने का अधिकार है कि आपके द्वारा और अन्य जनसनुवाई की गई है कि नहीं और अगर अभी आप करवा रहे है तो नियमित जानकारी है कि नहीं और अगर आप मौन है तो मैं ये मान लूं आपको नियमों की जानकारी नहीं है अगर होती तो अभी मैं आपसे उन अधिनियमों के संबंध में प्रश्न करता और मैं संतुष्ट हो जाता कि आपको जानकारी हे या नहीं। धन्यवाद। आप इस संबंध में मौन रहकर और न्यायिक पद, प्रशासनिक पद जिले में जो सर्वोच्च पद है आपका पीठासीन अधिकारी होते हुये भी आप उसका उल्लंघन कर रहे है इसलिये यह जनसुनवाई पूर्ण रूप से अवैध है अगर पर्यावरण मंत्रालय इस जनसुनवाई को अनुमति देती है तो ओ भी निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन कर ही हैं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और संविधान का उल्लंघन कानून का उल्लंघन आज यहां हो रहा है ऐसा नहीं है पूरे देश में हो रहा है जिसे चुने हुये जन प्रतिनिधि और जो प्रशासनिक सेवा में जन सेवा में सेवक की स्थिति में है ओ चर्चा करने से भी कतरा रहे हैं इस मंच से आज प्रमाणीत होता है की मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय कानुन नहीं जानते हुये भी वो इस मंच पर बैठे है और इस जनुसनवाई का पूर्ण करवा रहे है इसलिये मैं पुनः रूप से अपेक्षा रखूंगा और पर्यावरण अधिकारी महोदय से भी अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग अपनी अंतरभूत शक्तियों का इस्तेमाल करे उनका उपयोग करे और अंतिम रिपोर्ट में यही पर इस जनसुनवाई को निरस्त करने के लिये जो प्रावधान क विपरीत है उसकी संस्तुती करें यही पीठासीन अधिकारी महोदय से भी मेरा सादर निवेदन है कि जो आज के लोकतंत्र में जो बना हुआ है माहौल राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव अगर उस दबाव में भी है तो आज जनता के जीवन के लिये इस पर्यावरण संतुलन के लिये आपसे सादर अपेक्षा है कि आप संविधान का पालन करेंगे इसी अपेक्षा के साथ मैं आज की इस जनसुवाई को अवैधानिक घोषित करता हूँ इसमें उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारी जो संलिप्त है वो इस अवैधानिक जनसुनवाई को करवाने में सहयोगी है और वो भी उतने ही दंड के भागी है जितना उस एशोसियेट कंपनी ने जिसने ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया है या उस व्यक्ति ने जिसने करवाया है वो भी दंड के पात्र है। जय हिन्द।

620. विनोद कुमार डनसेना, गेरवानी – सर इससे पहले भी जो जनसुनवाई हुई थी उस पर भी मैने कोस्च्यन किया था बगल में सर भी बैठे हुये है लेकिन आज तक मेरे को उसका जवाब नहीं मिला सर मैं लास्ट तक था पिछले बार भी लेकिन उसका जवाब मेरे को आज तक नहीं मिला कि जो इस उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के निपटान की क्या प्रक्रिया है मेरे को आपकी प्रतिक्रिया चाहिये कि इसके निपटान की क्या व्यवस्था है आप देंगे सर ऐसा मै आशा रखता हूँ। सर मैं एक–एक प्वाईंट बताउंगा पहले आप इसका जवाब देदे। सर इसमें जो दर्शाया गया है इसपर पुरी क्लीयर इसपर जानकारी नहीं दी गई है सर केवल यह बताया गया है निपटान की व्यवस्था है लेकिन क्या व्यवस्था है इसपर नहीं बताया गया है सर, कृपया बताये। सर इसके उद्योग की साउंड की बात हुई है इसकी हर उद्योग की यही बात होती है साउंड दर्शा तो कम दिया जाता है लेकिन सर आप ही बताईये ये 70 डी.बी. से कम होगी साउंड। सर ऐसा कौन सा उद्योग है सामान्य फुसफुसाहट की बात करे तो सर 15 से 20 डेसीबल होता है और आप किसी बातचीत की बात करे तो 55 से 70 डेसीबल होता है सर इसमें 75 दर्शाया गया है, एक उद्योग की 75 सर। एक

उद्योग कभी 75 डेसीबल आवाज देगा सर ये रिपार्ट बनी हुई है। सर छोटी प्लांट है ठीक है सर हम समर्थन करते है सर लेकिन ऐसा नहीं है सर की रिपोर्ट में कुछ भी दे दिया जाये। इससे पहले मैने शिकायत किया था आपको पता होगा गेरवानी से दो प्लांट था सालासर स्टील और अंजनी स्टील दिन भर प्राण पी के रखे रहते है सर दिन भर बजते रहते है, दिन भर बजते रहते है अभी कुछ राहत है इसमें मैने जो आवेदन दिया था उसमें मुझे राहत मिली है, पुरा साउंड बंद हुआ है लेकिन सर 75 डेसीबल वहा भी वही स्थिति है सर, कल भी देखा तो मौसम ठीक है सर मौसम खराब रहे तो ठीक है कोई आय तो समझ में आता है सर हरदम यही स्थिति है यहा की और यहा 75 डसीबल दर्शाया गया है सर लाउड स्पिकर जो बजते है वो 70 टू 80 डेसीबल होते है, लाउड स्पीकर और सर उद्योग का ऐसा दर्शाया गया है। दूसरा सर इसमें दर्शाया गया है कि ठोस अपशिष्टों का निपटान, उपयोग नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है। सर नियम क्या होता है मेरे को यह बता दीजिए सर। सर आप ये देखे कि नियम क्या होता है कैसे होता है 20 फीट पहाड़ बना दिया गया है पुरे आस–पास के क्षेत्र का कभी उस पर कार्यवाही नहीं होती है सर। कैसे होगा बताईये ये। दूसरी बात सर जल की जल समस्या में ये बताया गया है की केवल कुलिंग सर्किट स्त्रोत लगाया जाना प्रस्तावित है एवं फेरो एलायज प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। सर मेरे घर में 15 सौ लीटर की टंकी है मैं सर रोज कम से कम 600 से 700 लीटर पानी का उपयोग करता हूॅ कैसे ये सर उद्योग दूषित जल छोड़ेगा ही नहीं ऐसा पूरा लिख दिया गया है सर ऐसा कोई प्रक्रिया है सर बताईये। इसके निपटान की कोई उचित प्रक्रिया होनी चाहिए सर। इसमें सीधा लिख दिया गया है कि दूषित जल का केवल जीरो प्वाईंट घनमीटर एक दिन में होगा और बाकी और बाकी कोई उद्योग अपशिष्ट जल नहीं छोड़ती क्या? दूसरी सर इसमें बात की गई है पर्यावरण के विवरण के बारे में प्रस्तावित स्थल के 10 किलोमीटर के त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारको जैसे परिवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनि स्तर पेड़ पौधे जीव जन्तु, सामाजीक आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस डाटा लाईन बनाया जायेगा। क्या सर उद्योग के आस–पास वृक्ष लगा देने से ही हो जाता है सर मैं किसी एक उद्योग की बात नहीं कर रहा हूॅ मैं सारे उद्योग की बात कर रहा हूॅ मैं किसी एक उद्योग की बात नहीं कर रहा हूॅ यह एक छोटी उद्योग है मैं मानता हूॅ की छोटी उद्योग ही लोगो को रोजगार देती है बड़ी उद्योग तो देती ही नहीं है सर केवल यही बता देती है कि हमारी स्थिति खराब है, स्थिति बताकर लोगो को बाहर कर दिया जाता है लेकिन ये छोटी उद्योग ही लोगो को रोजगार देती है लेकिन ये छोटी–छोटी चीज में भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में गलत डाटा देती है। दूसरा सर यह सबसे महत्वपूर्ण प्वाईंट मेरे को यह प्रश्न कहना है। प्रस्तावित क्षमता के संयंत्र के निर्माण एवं संचालन से स्थानियत लोगो को रोजगार के अनेक अवसर बने, जिसके कारण सामाजीक, आर्थिक स्थिति पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे प्रस्तावित क्षमता विस्तार की कुल लागत का 2.5 प्रतिशित निर्मित सामाजीक दायित्व के निर्वहन में नियत की जावेगी। सर मुझे यह पता नहीं है की 2.5 प्रतिशत कहा खर्च होगी, क्या असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम कहा खर्च होती है सर मुझे बताया जाये। कार्पोरेट टेक्स के नाम से वसुल तो कर ली जाती है लेकिन खर्च की कोई विधि नहीं है। ये खर्च रायपुर में होती है रायगढ़ में होती है कहा होती है? सर कृपया बताये इसको। क्योंकि सर इसके माध्यम से निश्चित उत्तरदायित्व आरोपित किया गया है उद्योग के ऊपर की ये 2.5 प्रतिशत कुल लागत का खर्चा करेंगी। लेकिन सर ये कहा करेगी ये तो विधि होनी चाहिए हमको जानकारी होनी चाहिए यह मेरा व्यक्तिगत जानकारी के लिये चाहिए कि 2.5 प्रतिशत कहा खर्च होती है। ये भी मेरा प्रश्न है सर। दूसरी

इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए कि कहा खर्च होगी, प्रदूषण हम झेले, बेरोजगारी हम झेले, रोड के एक्सिडेंट हम झेले और खर्च हो रहा है नया रायपुर बनने में, आई.आई.टी. बनने में आई.आई.एम. बनने में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इसका मेरे को क्लीयर जानकारी दे ऐसा बोलिये उन्हे की 2.5 प्रतिशत कहा खर्च होगा।

621. खीरसागर मालाकर, तराईमाल – जैसे बचपन से हम लोग पड़ते आये है जहां–जहां अवस्किार है वहां थोड़ा सा तो अभिशाप भी है। जैसे जहा इक्यूपमेंट लगते है मशीनरी लगते वहा कुछ प्रतिशत धुआं भी संभव है जितने भी क्षेत्रवासी है जैसे क्षेत्र में पर्टिकुलर किल्न लगा है तो उसका धुंआ उस क्षेत्रवासियों को ही खाना होगा। लेकिन उस उद्योग को चाहिए की उस क्षेत्र में निवासरत जितने भी आदमी है, जितने भी कुशल, अकुशल नागरिक है, नवयुवक है सबको रोजगार का अवसर देना चाहिए उनको और ऐसे बोल देना जायज नहीं है कि उद्योग के क्षमता विस्तार का विरोध करता हूॅ करके तहे दिल से कोई भी नहीं चाहता की उद्योग का विस्तार न हो करके क्योंकि उद्योग का विस्तार होगा तभी क्षेत्रवासियों का विकास होगा। विस्तार से ही विकास है जहा 04 मशीनरी लगी होगी वहा 04 आपरेटरो की जरूरत होगी और 02–02 हेल्फरो की जरूरत होगी। वही रोजगार के अवसर कुल बढ़ जाते है वहीं व्यापारी वर्ग होंगे उनका भी व्यापार के अवसर बड़ जाते है तो फैक्ट्री से आवेदन है निवेदन है कि क्षेत्रिय वासियों को रोजगार का अवसर दे और जो भी अपने डस्ट कन्ट्रोलर इक्यूपमेंट लगे हुये है, इ.एस.पी. वगैरह लगे हुये है उनका प्रापर चेक करे उनमे नये–नये बैग फिल्टर प्रापर बदला जावे और शासन प्रशासन इसका विशेष तौर पर ध्यान रखे कि उन प्लांट में नियत समय में उसका बैग फिल्टर या जो भी पाल्यूशन कन्ट्रोल इक्यूपमेंट है, जो पानी की व्यवस्था है जैसे विनोद भाई ने भी बताया जो–जो रिपोर्ट गलत है वैसा न पेश करे। शासन इसपे ध्यान रखे इतना कहकर मैं फैक्ट्री के क्षमता विस्तार का समर्थन करता हूॅ उद्योग दिन–दोगुनी और रात को चौगुनी विस्तार करे लेकिन समाज के सभी स्थानिय लोगो के विकास के साथ।

622. पंचराम मालाकार, उपसरपंच, तराईमाल – फैक्ट्रीयां तो बहुत सारा आया है फैक्ट्री आने से विस्तार तो हुआ है, विकास भी हुआ है फैक्ट्री लगने से कुछ तो धुल धक्कड़, धुआं खाना ही पड़ेगा लेकिन उसके साथ विकास भी तो हुआ है और हमारे जनता को रोजगार भी मिला है वो पढ़े–लिखे नवयुवक को उनके क्षमता के अनुसार से हर फैक्ट्री में हमारे माध्यम से भी कई फैक्ट्री को लगाया गया है। अभी वे रोजगार है, सक्षम है और वर्तमान में अभी हमारे थाने पूंजीपथरा में नये–नये लड़के जो इंजीनियर करके निकल रहे है। मैं अपर कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूॅ कि इंजीनियर निकल रहे है उनको रोजगार का अवसर दे। बहुत सारे हमारे गांव में अभी भी पड़े हुये है रोजगार उनको ढंग से नहीं मिला है। इस बात को थोड़ा सा वे ध्यान करते हुये आस–पास के क्षेत्र 04–05 पंचायत अभी आ रहा है उसके आधार से वो लिस्ट बनवाये और जहां जरूरत है इंजीनियर का वहां भर्ती किया जाये और हर फैक्ट्री को बोला जा रहा है कि सी.एस. आर. मद से कुछ न कुछ खर्चा करे हमारे बंजारी माँ में योगदान करे। ये धार्मिक स्थल बना है यहां भी हर प्रांत से दर्शन करने आते है। अगले बार भी मैं बोला था कि इनके पहले जो फैक्ट्रीयां जनसुनवाई हुआ था तो बोला गया था कम से कम यहा दो लेबर दे–दे, गार्डन का देख–रेख किया जाये, पानी सिंचित किया जाये लेकिन वो अभी तक भी कुछ नहीं करवाया गया। मेरा अनुरोध है कि कम से कम बंजारी मंदिर में तो दान–पून्य करें विस्तार तो होगा ही और मैं पुरे पॉवर लिमिटेड का मैं विस्तार के लिये समर्थन करता हूॅ। विस्तार लेकिन उसके साथ हमारे डॉक्टर साहब का फैक्ट्री है विस्तार करे, अच्छा से विस्तार करे लेकिन

स्वास्थ्य को ध्यान करते हुये कम से कम 01 साल में 01 स्वास्थ्य कैम्प लगा दे आस–पास के बच्चे जो है ना स्कूल के बच्चे, जो भी आस–पास के बुजुर्ग है उनके स्वास्थ्य के रक्षा के लिये जॉच हो कुछ उसके तरफ से मुफ्त में दवा भी वितरण किया जाये। मैं उनके लिये सबसे धन्यवाद देता हूॅ मेरे को हाथ हिला के बोले कि स्वास्थ्य का कम से कम 01 साल में मैं उसे करवाउंगा करके। उनका समर्थन हो अच्छा से उनका फैक्ट्री का तरक्की हो। धन्यवाद। जय हिन्द।

623. निर्मल कुमार मालाकार, तराईमाल – पहले तो सर ऐसा था कि 10–12 साल हम लोग डोरी, महुआ, तेंदुपत्ता सब करने के लिये जाते थे जंगल में लेकिन जब से प्लांट यहा पे आया है तब से बहुत ही सुकुन है और जो भी रोजगार मिल रहा है और हमारे तराईमाल से कम से कम 20–25 आदमी इस प्लांट में कार्यरत है और बराबर पेमेंट मिल रहा है 8000–9000 जो भी है और सब को लेके चल रहे है तो इस प्लांट का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूॅ। जय हिन्दं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी प्रतिनिधि पर्यावरण कंसल्टेंट श्री महेश्वर रेडडी, पायोनियर इन्वायरो, हैदराबाद – सबसे पहले मुद्दा पब्लिक हेयरिंग 45 दिन बाद हुआ था। ये तो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट को हेल्प करने के लिये ही मिनिस्टी ऑफ इनवायरमेंट फारेस्ट ने ये नियम लगाया था, इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये खाली प्रोजेक्ट प्रपोनेंट को दिया है डिले अवाईड करने के लिये ये नियम लगाया। ग्रामपंचायत एप्रुवल, ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीयल पार्क में है इसलिये ग्रामपंचायत एप्रुवल का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम ये रिपोर्ट में एलिफेंट कारिडोर को क्लीयरली स्पेसिफाई किया है और इसके लिये कंसरवेशन प्लान भी प्रिपेयर करके प्रिंसिपल चीफ कंसरवेशन ऑफ फारेस्ट छ.ग. उनसे भी अनुमति लिया था उसमें जो बजट एलोकेट किया है उसको पुरी तरह से नियमानुसार स्पेंड किया जायेगा जिसमें ग्राउण्ड वाटर की उपयोग किया जायेगा। इसमें जो एक्जिस्टिंग प्लांट है उसका 31 किलोलीटर प्रतिदिन की रिक्वारमेंट है ये एक्चूअली 2004 के पहले के यूनिट्स है, आपरेशन में है और उस टाइम में जो सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारीटी का नियम है जो सेफ जोन केटेगीरी में जो रायगढ़ है उसमें 1000 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता से कम है तो वाटर परमिशन लेने की जरूरत नही था उस टाईम में है अभी तो क्षमता विस्तार के बारे में जो 29 किलोलीटर पर डे की रिक्वायरमेंट है इसके लिये सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर से अनुमती लिया जावेगा, यह प्रोसेस में है। ऐयर पाल्युशन, वाटर पाल्युशन के बारे में एक कोस्च्यन आया था इसमें हम इस परियोजना में बैग फिल्टर की व्यवस्था किया जा रहा है और चिमनी की ऊचाई भी सेन्ट्रल पाल्युशन कंट्रोंल बोर्ड के नियमों के अनुसार किया जायेगा और इसमें फर्नेस पुरा कवर्ड होगा, डस्ट सप्रेशन सिस्टम भी लगाया जायेगा ये सब करने से वायु प्रदूषण पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा और पानी के बारे में जो दूषित जल होगी ये कन्टीन्यूअस क्लोज्ड सर्किट कुलिंग सिस्टम लगेगी ये पानी को पुनः उपयोग किया जायेगा इसी अवस्था में इससे कोई दूषित जल बाहर नहीं जायेगा इसमें खाली सेनेट्री वेस्ट वाटर आयेगा इसको सेप्टिक टैंक और सोकपीट में सुट किया जायेगा ये सब करने से जो सालिड वेस्ट का डिस्पोजल है ये सब नियमों के अनुसार किया तो कोई हेल्थ पर भी

कोई इंपेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें परियोजना में 4 एकड़ की हरियाली की वृद्धि भी किया गया है जिससे ये एयर पाल्युशन भी, वाटर भी सभी विथईन लिमिट होगा एक मुद्दा, एक कोस्च्यन आया था जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क का इनवायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं लिया था सभी यूनिट को क्लीयरेंस लेना पड़ रहा है बोल के इसमें सर सबसे मैं जो ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क 2006 के पहले स्थापना किया गया था ये नोटिफिकेशन 2006 सेप्टेमब्र या उससे पहले ही स्टेबलीस हुआ इसीलिये इसको इनवायरमेंटल क्लीयरेंश का जरूरत नहीं पड़ा था उस टाइम में इसलीये अभी जो इण्डस्ट्री लगा रहा है उसको इन्वायरमेंटल क्लीयरेंश का जरूरत पड़ रहा है। इसमें लोकल एम्प्लायमेंट तो एक्जिस्टिंग प्लांट में भी स्थानियों लोगो को ही रोजगार दिया जा रहा है और इसका क्षमता विस्तार के बाद भी यही प्रक्रिया जारी रहेगा। इसमें एक मुद्दा आया था सिलिकोसीस इसमें क्वार्टज रॉ मटेरियल उपयोग किया जायेगा सर ये सिलिकोसिस नार्मली सिलिका माईनिंग में होता है जो सेंडमाईन्स इस तरह में जहा वर्कर्स का कन्टिन्यूअस एक्सपोजर होता है 8 घंटा, 10 घंटा, हर एक दिन इस तरह से साल भर में कन्टीन्यूअस चलेगा तभी तो सिलिकोसिस के आने की चांस लगता है सो इस परियोजना में हम पुरी तरह से डस्ट सप्रेशन सिस्टम पुरे–पुरे लगा रहा है इससे सिलिकोसीस के कोई चांस नहीं होता है। क्रोम स्लैग जब फेरो क्रोम मेनुफेक्चिरिंग करता है जो उससे स्लैग निकलता है इस स्लैग को जिगिंग प्लांट में लेकर जिग करने के बाद निकलने वाले व्यर्थ को पी. सी.एल.पी. टेस्ट याने टाक्सिकसीटी कैमिकल लिचेबिलिटी पोटेंसियल टेस्ट मानता है ये एक टेस्ट करा के जो क्रोम कन्टेंट को डिटरमेन करता है जब क्रोम कन्टेन नियमों के अनुसार विथईन द लिमिट है तो इसको डायरेक्टली ब्रिक मेन्युफेक्चर में युज कर सकता है रोड लेइंग में युज कर सकता है या जिंदल पार्क का सालेड वेस्ट डिस्पोजल यार्ड में भी युटिलाईज कर सकता है जो एक्जस्टिंग प्लांट में फेरो क्रोम है नहीं जो एक्पांशन में ही फेरो क्रोम का प्रोडक्शन होगा। इसमें हेक्सावेलेन क्रोमियम जभी लिमिट से ज्यादा है तो तभी तो टाक्सिक बन जाता है जब तक विथईन द लिमिट है तो कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें पुरा सालिड वेस्ट डिस्पोजल सर हम जो इसमें फेरो सिलिको स्लैग प्रोड्यूस करता है उसको हम यूजर इंडस्ट्री को दे रहा है हम लोग प्रपोज्ड कर रहा है और जो सिलिको मैग्नीज में प्रोड्यूज करने वाला स्लैग को फेरो मैग्नीज में युटिलाईज हो जायेगा और जो फेरो क्रोम का अभी बताया था ये जिगिंग प्लांट लगाके उसके बाद निकलने वाले को टी.सी.एल.पी. टेस्ट करके उसके बाद उसका डिस्पोजल किया जायेगा ये पुरा डिस्पोजल नियमों के अनुसार किया जायेगा। जब क्रोम का क्रोमियम डिटरमिन करके जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम विथईन द लिमिट्स से अंदर है तो तभी तो ये यूटिलाईज्ड होगी नही ंतो टी.एस.डी.एफ. को नियरेस्ट टोटल स्टोरेज डिस्पोजल फेसेलिटी मानता है जो हजार्डस वेस्ट का डिस्पोजल तो उस एरिया में दिया जायेगा। ई.आई.ए. रिपोर्ट में हम नाला में पानी नहीं है बोलके इस तरह लिखा था जब जो मानीटरिंग पिरीयेड समर में मार्च टू मई में हमलोग जब जो वाटर सेम्पल कलेक्ट करता है सर्फेस वाटर नाला से कुछ नाला में पानी नहीं था मई मंथ में इसीलिये उस टाईम में पानी नहीं था बोलके लिखा है इसका मतलब नहीं है कि पुरे साल में पानी नहीं है हमने ऐसा कही भी नहीं लिखा है जो सेम्पलिंग पिरीयेड है समर में उस टाईम में कुछ नाला में पानी नहीं था इसीलिये हम सेम्पल नहीं कलेक्ट कर पाया वहीं ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रजेंट किया। जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क में जो इंजीनियरिंग कॉलेज आलरेडी स्टेब्लीज है उस एरिया में वहा हरियाली की वृद्धि है उस एरिया में जो आलरेडी 100 मीटर के थीकनेस में थीक ग्रीनबेल्ट भी है जो इस प्लांट से ज्यादा दूर भी पड़ेगा जो आप एक्जस्टींग प्लांट और विस्तरण के बाद भी नियमों का पालन किया जायेगा तो पर्यावरण पें कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इंजीनियरिंग कॉलेज पर भी कोई इंपेक्ट नहीं पड़ेगा। नाईस लेबल 70 डेसीबल से भी कम है उधर नार्मली जो नाईस लेबल इंडस्ट्री में ज्यादा निकलता है वो पॉवर प्लांट में

होता है जो नाम में तो पॉवर है लेकिन एक्जस्टिंग में या एक्सपांशन में कोई पॉवर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। जो खाली आर्क फर्नेस प्रस्तावना है इसमें चार एकड़ की जमीन में हरियाली विस्तरण किया जायेगा ऑलरेडी किया गया है इससे ध्वनि की मात्रा कम हो जायेगी जो इण्डस्ट्रीयल एरिया में स्टेब्लिज्ड है जो डे टाईम में 75 डेसीबल से कम होना और रात के टाईम में 70 डेसीबल से कम होना तो इससे कम ही होगा। मैं बताया था क्लोज्ड सर्किट कुलिंग सिस्टम लगाया जायेगा इससे कोई दूषित जल बाहर नहीं जायेगा। सी.एस.आर. प्रोजेक्ट 2.5 परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट याने 32 लाख रूपये स्थानीय गांव में ही इसका समाज वृद्धि के लिये उपयोग किया जायेगा। 10 किलोमीटर का गांव है उसी के वृद्धि के लिये किया जायेगा। धन्यवाद।

सुनवाई के दौरान 05 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 04 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तद्पश्चात सांय 04:00 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(आर.के. शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(संजय दीवान)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)